आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

सहयोग राशि
30/-₹

सितम्बर 2022

क्रान्ति

मासिक



पर्यावरण संरक्षण और निरंकुश नव-पूंजीवाद


اللہ کے رسولؐ نے ارشاد فرمایا۔
میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں
(مؤطہ اِمام مالک:705)
With Best Compliment from
sagar
SAGAR FEEDS & FOODS
PROCESSING INDUSTRIES
Plot No. L-21, Gidc Concolim Industrial Estate
Concolim-403703 GOA
Email: sagarffpi@gmail.com

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 32 अंक 03 सितम्बर 2022

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
वह इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
धर्म और सहिष्णुता
प्रो॰ मुहम्मद सलीम इंजीनियर

सौंदर्य बोध 11
मानवता का माधुर्य
प्रस्तुति: डॉ॰ रफ़ीक़ अहमद

मुख्य स्तंभ 15
"पर्यावरण संरक्षण और निरंकुश नवपूंजीवाद"
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 19
प्लास्टिक का विकल्प और सवाल
अखिलेश आर्यंदु

समाधान 23
आगे की राह
जितेंद्र गौतम

समसामयिक 25
पर्यावरण संरक्षण क़ानूनों में बदलाव और हमारी प्रतिबद्धताएं
अरशद शेख़

ज्वलंत 29
आत्मचिंतन का समय
डॉ॰ प्रदीप कुमार

विशेष 33
शिक्षा से वंचित समाज
नईम अलहिन्दी

मंथन 36
महामारी का रूप लेते ऑनलाइन गेम्स
ज़ईमुद्दीन अहमद

सेहत 39
मंकीपॉक्स वायरस : लक्षण और बचाव
संपादन प्रभाग

करियर 41
काग़ज़ की प्लेट और कप के व्यापार में अच्छे मौक़े
संपादन प्रभाग

कहानी 45
कचरे वाले
स्वप्निल कुमार यादव

आख़िरी पन्ना 49
दुश्मन की गवाही
प्रस्तुति : अब्दुर्रब करीमी

मूल प्रश्न



आज़ादी का अमृत महोत्सव

वह इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं



शिब्ली अरसलान

आज जब मैं ये पंक्तियाँ लिख रहा हूं, देश में हर तरफ़ "आज़ादी के अमृत महोत्सव" की धूम और गूंज सुनाई पड़ रही है। दिल्ली से लेकर सुदूर गांव तक लोगों ने प्रधानमंत्री के 'हर घर तिरंगा' की आवाज़ पर लब्बैक(सकरात्मक जवाब) कहा है। देश के कोने-कोने से अद्भुत तस्वीरें और रोमांचक वीडियोज़ आ रहे हैं, जिसे देखकर वतन से मुहब्बत करने वाले हर नागरिक का मन पुलकित हो रहा है। देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने से 75 सप्ताह पूर्व ये उत्सवी श्रृखला शुरू हुई है जो 15 अगस्त 2023 को पूर्ण होगी। नाना प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम और सीरीज़ ऑफ़ इवेंट्स साल भर चलेंगे, जिसमें आज़ादी की अहमियत, स्वतंत्र भारत का 75 वर्षीय सफ़र और नये संकल्प एवं निश्चय की याद-दिहानी होगी।

प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का अर्थ आजादी की ऊर्जा का अमृत है।स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव मतलब नए विचारों का अमृत। नए संकल्पों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत। स्वतंत्रता,मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आज़ादी ईश्वर ने उसे प्रदान की है,अतः किसी इंसान को दूसरे इंसान की आज़ादी छीनने का कोई हक़ नहीं। हज़रत उमर के शब्दों में,जो उन्होंने मिस्र के गवर्नर से कहा था "तुमने लोगों को कब से ग़ुलाम बना लिया है, उनकी माओं ने तो उन्हें आज़ाद जना था। " और हज़रत अली के कथनानुसार "तुम किसी और के बंदे (ग़ुलाम) न हो जाओ,हालांकि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है।" एक ऐसी स्थिति, जिसमें लोगों को बाहरी प्रतिबंधों के बिना बोलने, करने और अपने सुख को प्राप्त करने का अवसर मिलता है,स्वतंत्रता कहलाती है। हमें स्वतन्त्र होकर जीवन यापन करने में अच्छा लगता है, आज़ाद फ़िज़ा ही में वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है।

स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे हमें अपने नए विचार, रचनात्मक कला, उत्पादन और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का मौका मिलता है। ये सत्य है कि ग़ुलामी में तरक़्क़ी रुक जाती है। व्यक्ति,समूह और देशों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। भारत का वास्तविक विकास,

अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद ही सुनिश्चित हो पाया। अफ़ग़ानिस्तान के पिछड़ेपन का मूल कारण अफ़ग़ान धरती को लगातार साम्राज्यवादी ग़ुलामी में जकड़े रखना है, कभी रूसी साम्राज्यवाद की ग़ुलामी तो कभी अमेरिकी क़ब्ज़ा। हमारी स्वतंत्रता हमें अत्यंत प्रिय होना चाहिए। अनेक भारतीयों ने अपना सुख एवं जीवन त्याग कर हमें यह आज़ादी भेंट दी है। ग़ुलाम भारत में आंख खोलने वाले उस वक़्त के वे मतवाले और ही थे, जिनकी रगों में, सांसों में और लम्हे-लम्हे में सिर्फ़ आज़ादी की तलब ही पैवस्त होती थी। उन्हें नहीं पता होता था कि ज़िंदगी का मक़सद अपने वतन पर क़ुर्बान होने के सिवा कुछ और भी होता है। उनकी क़ुर्बानियों को सहेज कर रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वतन्त्र भारत ही में हम अपने देश और अपने घर परिवार के साथ-साथ ख़ुद की प्रगति के लिए कार्य कर सके हैं और कर सकते हैं। जो अंग्रेजों के अधीन रहकर करना संभव नहीं था। स्वतंत्र होने के कारण हम लोग नए संविधान गठित कर सके। इसी के कारण हम नागरिकों के अधिकार प्राप्त करने में सफल हुए हैं। समाज सुधार और सबके लिए सुविधाएं उपलब्ध हो पाई है, और देश में नयी ऊर्जा विकसित हो पायी है। स्वतंत्र भारत ही के संविधान ने प्रजातंत्र को सुनिश्चित किया, प्रजातंत्र में लोग देश के शासन के लिए सही व्यक्तियों का चुनाव कर सकते हैं, और अपने कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। इसलिए स्वतंत्रता का हमारे और हमारे देश के लिए बहुत महत्व है।

भारत के सभी नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुसार किसी बात पर विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इस स्वतंत्रता में सम्मिलित है। नागरिकों को मिली विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता, आज दुनिया में सिमटती जारही है। ब्रिटेन स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन "आर्टिकल 19" ने विश्व के 161 देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट "Global expression report-22" पेश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, केवल 15 प्रतिशत दुनिया अभिव्यक्ति की आज़ादी से लाभांवित हो पाती है। ये हालत पहले से बदतर हुई है। अफ़सोसनाक तौर पर इस मामले में भारत का शुमार चीन, मयंमार और रूस जैसी एकाधिकारवादी ग़ैर-लोकतांत्रिक देशों के साथ किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि मौज मस्ती में डूबी हमारी जवान पीढ़ी विरासत में मिली आज़ादी की क़ीमत समझ नहीं सकी। 26 जनवरी और 15 अगस्त पर महज़ तिरंगा फहराने, बैनर-पोस्टर लगाने और आज़ादी के तराने सुनने-गुनगुना लेने भर को वतनपरस्ती समझ बैठी और सरकारें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए लोकतंत्र में लोक की जगह घटाती गयी।

आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ज़रूरत इस बात की है कि देश की नई पीढ़ी को खुलकर बताएं कि ग़ुलामी किस बला का नाम है और हमने आज़ादी किस क़ीमत पर हासिल की है। आज़ादी और विशेष कर अभिव्यक्ति की आज़ादी कितना ज़रूरी है, इसके बग़ैर महज़ मतदान की आज़ादी का कोई अर्थ नहीं, अगर हम केवल वोटर होने पर ख़ुश हैं तो ये लोकतंत्र के लिए घोर अंधकार का युग होगा। सफल लोकतंत्र के लिए चौकस नागरिक (vigilant citizen) बेहद ज़रूरी है। ये देखना और नज़र रखना बेहद ज़रूरी है कि नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित है या नहीं। आज़ादी की दुल्हन (यह एक प्रतीक है) का हमेशा जवान रहना ज़रूरी है। और इस दुल्हन की रंगत बनाए रखने के लिए हर देशवासी को अपनी रगों में लहू का एक सोता हमेशा रवां रखना होगा। क्योंकि... वह इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।

■■

ये आज़ादी ईश्वर ने उसे प्रदान की है, अतः किसी इंसान को दूसरे इंसान की आज़ादी छीनने का कोई हक़ नहीं। हज़रत उमर के शब्दों में, जो उन्होंने मिस्र के गवर्नर से कहा था "तुमने लोगों को कब से ग़ुलाम बना लिया है, उनकी माओं ने तो उन्हें आज़ाद जना था। " और हज़रत अली के कथनानुसार "तुम किसी और के बंदे (ग़ुलाम) न हो जाओ, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है।" एक ऐसी स्थिति, जिसमें लोगों को बाहरी प्रतिबंधों के बिना बोलने, करने और अपने सुख को प्राप्त करने का अवसर मिलता है, स्वतंत्रता कहलाती है। हमें स्वतन्त्र होकर जीवन यापन करने में अच्छा लगता है, आज़ाद फ़िज़ा ही में वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है।

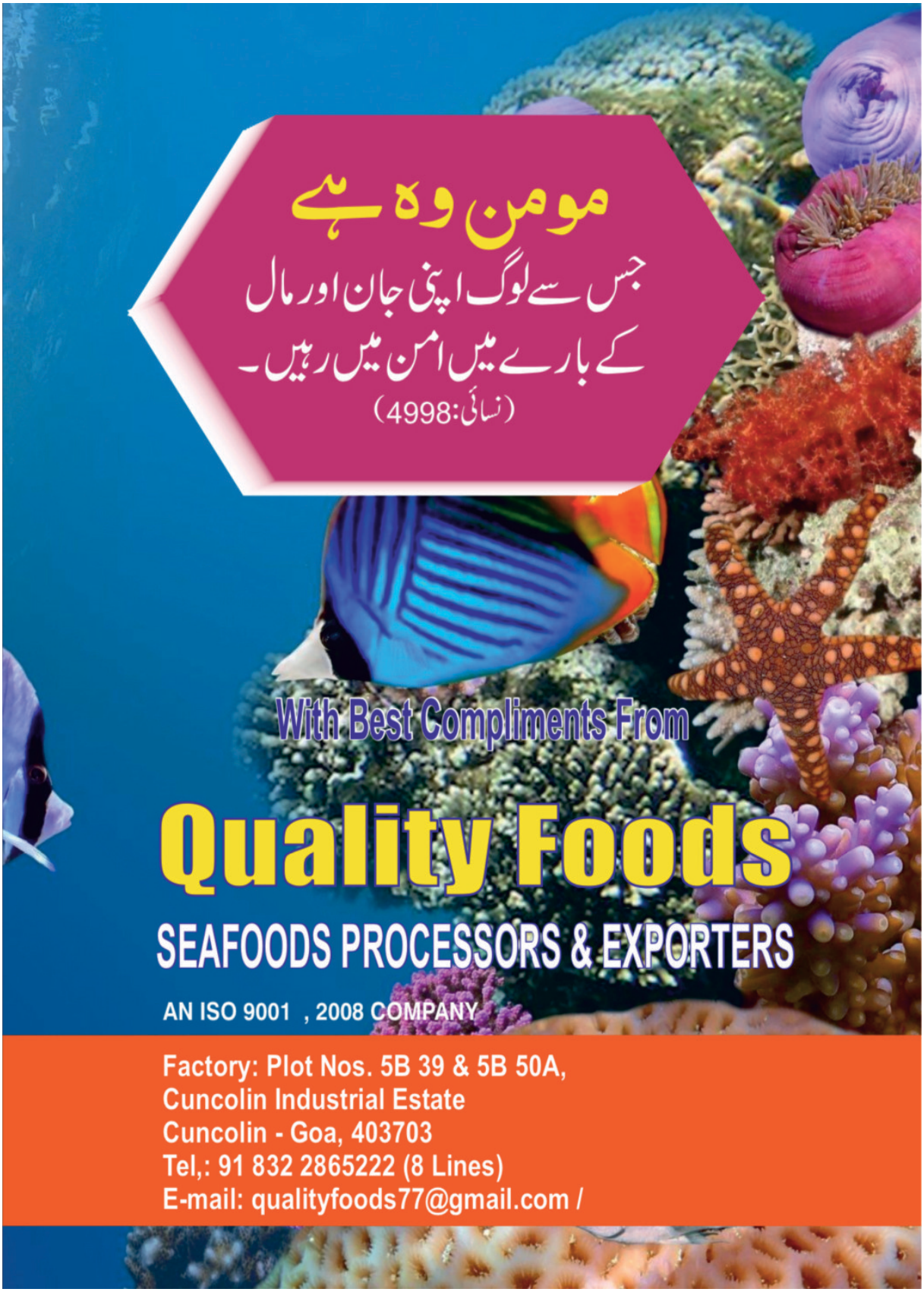
مومن وہ ہے
جس سے لوگ اپنی جان اور مال
کے بارے میں امن میں رہیں۔
(نسائی:4998)
With Best Compliments From
Quality Foods
SEAFOODS PROCESSORS & EXPORTERS
AN ISO 9001 , 2008 COMPANY
Factory: Plot Nos. 5B 39 & 5B 50A,
Cuncolin Industrial Estate
Cuncolin - Goa, 403703
Tel,: 91 832 2865222 (8 Lines)
E-mail: qualityfoods77@gmail.com /

चिंतन



प्रो. मुहम्मद
सलीम इंजीनियर

धर्म और सहिष्णुता

इस सृष्टि का और इस सृष्टि में मानव का एक विशेष स्थान है और मानव का उसके स्रष्टा से एक विशेष संबंध है। इसी संबंध को सही रूप से जान लेने का नाम धर्म है। मनुष्य का अपने स्रष्टा से सही संबंध क्या है? यही बताने के लिए ईश्वर (स्रष्टा) के दूत और पैग़म्बर इस धरती पर आते रहे। जब-जब यह संबंध धुंधला होता गया तब-तब ईश्वर ने नबी और पैग़म्बर भेजे ताकि मनुष्य का अपने स्रष्टा के साथ संबंध ठीक हो जाए।

हम सब एक ही मां-बाप की संतानें हैं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। सबसे पहला मनुष्य ''आदम'' है जिन्हें अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग नामों से पुकारा गया है, सभी मनुष्य उसी आदम की सन्तान हैं। चाहे हमारी भाषाएं अलग हों, रंग और देश अलग हों, लेकिन सभी मनुष्य एक मां-बाप की सन्तान हैं। ज़ाहिर है कि एक मां-बाप की सन्तान होने का मतलब हमारा रिश्ता कितना निकट है। इस

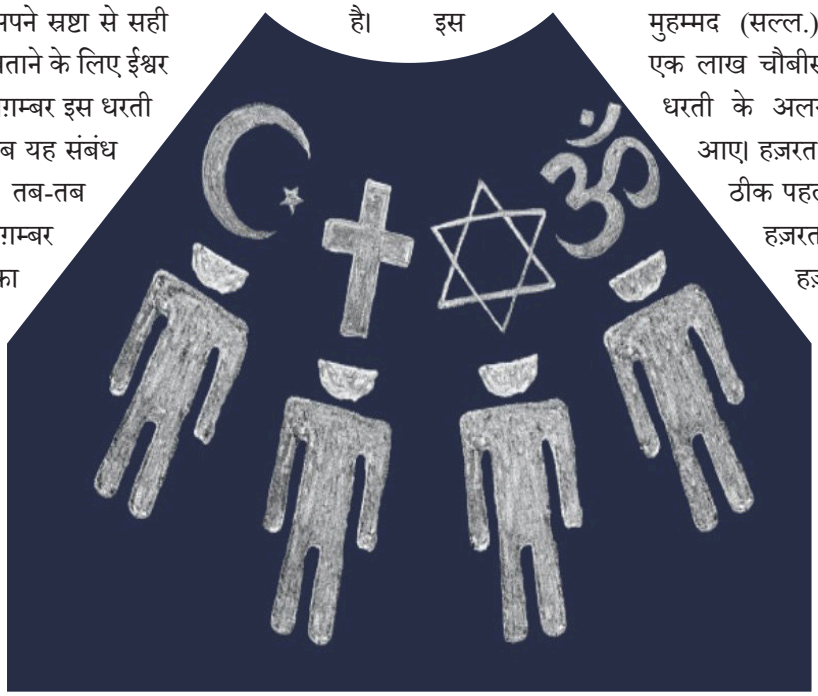

वास्तविकता को कभी-कभी हम भूल जाते हैं। सभी नबियों और पैग़म्बरों ने इस वास्तविकता को याद दिलाया है कि तुम सब एक मां-बाप से पैदा किए गए हो और तुम सबको पैदा करने वाला ईश्वर एक है।

'आदम' से लेकर और हमारा विश्वास है कि आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के बीच लगभग एक लाख चौबीस हज़ार पैग़म्बर इस धरती के अलग-अलग हिस्सों में आए। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) से ठीक पहले जो नबी आए वह हज़रत ईसा थे। उससे पहले हज़रत मूसा थे, जिनके नाम से यहूदी धर्म चला। नबियों और पैग़म्बरों की एक लंबी सूची है। क़ुरआन में केवल 35-36 नबियों के नाम हैं, लेकिन हदीस की किताबों से मालूम होता है कि एक लाख चौबीस हज़ार से ज़्यादा पैग़म्बर इस धरती पर अलग-अलग समय और स्थानों पर आते रहे।

हमारा देश भारत जोकि एक बहुत ही प्रचीन देश है, यहां निश्चित रूप से एक नहीं अनेक पैग़म्बर आए होंगे और अनेक पैग़म्बरों का संदेश आया होगा, लेकिन यह बात सामने रहे कि संदेश भेजने वाला एक ही है। जिन इन्सानों के लिए उसने संदेश भेजा उन्हें पैदा करने वाला भी एक ही है। इसलिए उसका संदेश भी अलग-अलग नहीं हो सकता। सभी नबियों ने एक ही संदेश दिया है और सारे नबी एक ही संदेश लेकर आए।

क़ुरआन हमें बताता है कि उस संदेश का सारांश यह है कि-तुम्हारा रब (पालनहार) एक है, तुम्हें पैदा करने वाला ईश्वर एक है और तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए ईश्वर ने नबी और पैग़म्बर भेजे। ईश्वर की ओर से वह मार्गदर्शन जो तुम अपनी अक़्ल और समझ से नहीं पा सकते हो वह ज्ञान तुम्हें पैग़म्बरों के माध्यम से दिया गया। पैग़म्बरों के माध्यम से हमें ख़बर दी गई कि इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है। एक अनंत दुनिया जिसे परलोक कहा गया है, उस दुनिया में तुम्हें जाना है। यदि इस दुनिया में तुम ईश्वर के प्रति समर्पण का रास्ता अपना कर जाओगे, तो तुम वहां स्वर्ग में जगह पाओगे, जिसे जन्नत कहा गया है। यदि तुमने यहां अपनी मनमानी की और ईश्वर के पैग़म्बरों की बात नहीं मानी, ईश्वर का आदेश नहीं माना तो फिर ईश्वर के प्रकोप और नाराज़गी के परिणामस्वरूप तुम्हें नर्क में जाना होगा। इन्सानों को इसी से बचाने के लिए नबी और पैग़म्बर आए, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हम सब स्वर्ग में जाएं। ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने का जो रास्ता है वह है समर्पण का रास्ता।

एक महत्वपूर्ण बात, जिसका उल्लेख मैं यहां करना चाहूंगा कि ईश्वर ने हम सबको एक बड़ी चीज़ दी है और इसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया और वह है हमारी स्वतंत्रता, आज़ादी या फ्रीडम। यदि वह चाहता तो हम पर यह बात थोप देता कि हम सभी एक ही तरीक़ा अपनाएं और उससे अलग जाने की आज़ादी हमें न हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क़ुरआन में कहा गया है कि हम चाहते तो तुम्हें एक जैसा बना देते, लेकिन यदि हम ऐसा कर देते तो तुम्हारी आज़ादी बाक़ी न रहती और तुम्हारी परीक्षा न होती।

असहिष्णुता की जो बात कही जाती है, समस्या तभी पैदा होती है जब हम अपनी बात, आस्था और विचार दूसरों पर जबरदस्ती थोपना चाहें। यह बात सही है कि हम जिन बातों और विचारों को सही मानते हैं वह दूसरों को बताएं, लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी बातों को दूसरों से ज़रबरदस्ती मनवाए। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम चाहते हैं कि लोग वही मान लें जो हम मानते हैं। यह हमारा अहंकार है। हम सबकी आस्थाएं अलग-अलग हैं। इन्सान अपनी आस्था को सबसे अच्छी समझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बात ज़रूरी है वह यह है कि आप अपनी आस्था को अच्छा और सही समझते हुए दूसरे लोगों की आस्था के अधिकार का सम्मान करें। हम अपनी राय, विचार और आस्थाएं किसी पर थोप नहीं सकते।

परीक्षा इसमें है कि ईश्वर ने यह सृष्टि बना दी, उसने उसमें अपनी बहुत-सी निशानियां छोड़ दीं। उसने हमको ज्ञान, बुद्धि और विवेक दिया और मार्गदर्शन के लिए नबी और पैग़म्बर भेजे। ईश्वर ने अपने ही बनाए गए इन्सान की आज़ादी को छीनना गवारा नहीं किया। उसने इन्सानों को यह आज़ादी भी दे दी है कि वे चाहें तो ईश्वर का इन्कार कर दें। बहुत से हमारे भाई ईश्वर को नहीं मानते।

ईश्वर ने इन्सान को इस धरती पर जो जीवन दिया है उसमें उसने उसे इस बात की पूरी आज़ादी दी है कि चाहे तो उसे माने चाहे तो न माने, लेकिन मानने और न मानने का अंजाम एक नहीं हो सकता। सच और झूठ बराबर नहीं हो सकते। यदि ईश्वर है तो हमारे मानने या न मानने से उसके होने न होने पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ईश्वर ने हमें मानने या न मानने की आज़ादी दी है। जब ईश्वर ने हमें यह आज़ादी दी है और हम पर कोई चीज़ नहीं थोपी तो हम और आप कौन होते हैं कि अपनी आस्था और विचारों को एक-दूसरे पर थोपें।

असहिष्णुता की जो बात कही जाती है, समस्या तभी पैदा होती है जब हम अपनी बात, आस्था और विचार दूसरों पर जबरदस्ती थोपना चाहें। यह बात सही है कि हम जिन बातों और

विचारों को सही मानते हैं वह दूसरों को बताएं, लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी बातों को दूसरों से ज़रबरदस्ती मनवाए। क़ुरआन में कहा गया है-'ला इकरा-ह फ़िद्दीन' (यानी दीन या धर्म के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। क़ुरआन, 2:256) ज़बरदस्ती किसी के धर्म और आस्था को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, थोपा नहीं जा सकता। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम चाहते हैं कि लोग वही मान लें जो हम मानते हैं। यह हमारा अहंकार है।

हम सबकी आस्थाएं अलग-अलग हैं। इन्सान अपनी आस्था को सबसे अच्छी समझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बात ज़रूरी है वह यह है कि आप अपनी आस्था को अच्छा और सही समझते हुए दूसरे लोगों की आस्था के अधिकार का सम्मान करें। यही आदर और सम्मान हमें सिखाता है कि हम अपनी राय, विचार और आस्थाएं किसी पर थोप नहीं सकते।

माहौल को बदलने और इसे सकारात्मक बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि हम एक-दूसरे से मिलना जुलना बढ़ाएं। दूसरे की बात सुनें और अपनी बात कहें। एक-दूसरे की बातों को खुले दिल और खुले दिमाग़ से सुनें, सहमति होना ज़रूरी नहीं है और सहमति कभी हो भी नहीं सकती। सभी बातों और सभी विषयों पर सबकी सहमति हो जाए यह कभी भी संभव नहीं है। अपने घर के सदस्यों के बीच भी यदि हम किसी एक विषय पर बात करें तो उनकी राय भी एक जैसी नहीं हो सकती और उन पर भी हम अपनी बात को थोप नहीं सकते।

इसलिए सहिष्णुता तभी संभव कि हम दूसरों के इस अधिकार का सम्मान करें कि वे अपनी पसंद का धर्म, आस्था और विचारधारा को चुनें और उसके अनुसार आचरण करें। दूसरे धर्मों, धार्मिक पुस्तकों और उनके धार्मिक महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक शब्द न कहें। क़ुरआन में साफ़ तौर पर यह बात कही गई है कि तुम दूसरों के ख़ुदाओं को बुरा मत कहो। तुम ईश्वर को मानो उसकी इबादत करो, लेकिन दूसरे जिनकी पूजा करते हैं उनको बुरा कहने, अपमान करने या ग़लत तरीक़े से उन्हें याद करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है।



हमारा देश विविधताओं से भरा एक विशाल देश है। यहां अलग-अलग धर्म और आस्थाएं पाई जाती हैं। ऐसे में इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा आपस में मेल-जोल और संवाद बढ़े। ज़रूरत इस बात की भी है कि जिन बातों पर हमारी साझा सहमति हो और जो हमारे साझा सार्वभौमिक नैतिक मूल्य हैं, सब मिलकर ऐसे संदेशों को लेकर लोगों के सामने जाएं। ऐसे बहुत से नैतिक मूल्य हैं जिन पर किसी की किसी से अलग राय नहीं हो सकती। ऐसी कुछ बुराइयां समाज में हो सकती हैं जिन पर सबकी सहमति है कि यह बुरी चीज़ है, इसको समाज में नहीं होना चाहिए। ऐसे नैतिक मूल्यों को हम मिल-जुलकर आगे बढ़ाने का प्रयास करें।

आज धर्म का नाम लेकर हमारे कुछ नादान भाई वो बातें कर रहे हैं जो धर्म के विरुद्ध हैं। लोगों के बीच नफ़रत और दूरी पैदा करना यह धर्म का काम हो ही नहीं सकता। जो इन्सानों को आपस में जोड़ता है, जो इन्सानों में प्रेम और भाईचारा पैदा करता है वही सच्चा धर्म हो सकता है। जो इन्सानों में भेद पैदा करे, इन्सानों को बड़ा-छोटा ऊंचा और नीचा बनाए, इन्सानों के बीच दूरियां पैदा करे, वह धर्म नहीं हो सकता। इसलिए सभी को मिलकर यह प्रण लेना चाहिए कि हम लोगों के स्वार्थ और राजनीति के लिए धर्म का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। हम अपने राजनेताओं और राजनीतिक दलों को इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि वे धर्म का नाम लेकर, धर्म की आड़ में, धर्म का चोला पहन कर हम सबके बीच दूरियां पैदा करें। भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने का यही एक रास्ता है कि हम अपने-अपने धर्म और आस्थाओं पर पूरी तरह पाबंद रहते हुए दूसरों का आदर और सम्मान करें। ■■

''जन्नत में वह व्यक्ति प्रवेश न करेगा जिसके दिल में कण भर भी घमंड होगा।''

एक व्यक्ति ने कहा कि आदमी पसन्द करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो और उसका जूता अच्छा हो। आप (सल्ल.) ने कहा, ''अल्लाह सौंदर्यवान है और सौंदर्य उसे प्रिय है। अहंकार तो सत्य के मुक़ाबले में इतराने और लोगों को हेय दृष्टि से देखने का नाम है।''

(हदीस : मुस्लिम)

ISLAMIC CENTRE VELLORE

सौंदर्य बोध



प्रस्तुति : डॉ. रफ़ीक़ अहमद

मानवता का माधुर्य

‘सज्जनो ! यदि दिल को चीर कर या आंसुओं को बहाकर देश के पर्वतों, वृक्षों और नदियों के ज़रिये हम आपको इस देश की कराह सुनवा सकते तो अवश्य इस कराह को आप तक पहुंचाते। यदि वृक्ष और पशु बोलते तो वे आपको बताते कि इस देश की अन्तरात्मा घायल हो चुकी है। उसकी प्रतिष्ठा और ख्याति को बट्टा लगाया जा चुका है और वह पतन एवं अग्नि परीक्षा के एक बड़े ख़तरे में पड़ गयी है। आज सन्तों, धार्मिक लोगों, दार्शनिकों, लेखकों और आचार्यों को मैदान में आने, नफ़रत की आग बुझाने और प्रेम का दीप जलाने की आवश्यकता है। इस देश की नदियां, पर्वत और देश के कण-कण तक आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप इन्सानों का रक्तपात न कीजिए, नफ़रत के बीज मत बोइये, मासूम बच्चों को अनाथ होने से और महिलाओं को विधवा होने से बचाइये। भारत को जिन विभूतियों ने स्वाधीन कराया था, उन्होंने अहिंसा, सद्व्यवहार और जनतंत्र के पौधों की सुरक्षा का दायित्व हमें सौंपा था और निर्देश दिया

भारत को जिन विभूतियों ने स्वाधीन कराया था, उन्होंने अहिंसा, सद्व्यवहार और जनतंत्र के पौधों की सुरक्षा का दायित्व हमें सौंपा था और निर्देश दिया था कि इन पौधों को हाथ न लगाया जाये, किन्तु हम उनकी सुरक्षा में असफल रहे। इसके फलस्वरुप हिंसा और टकराव का दानव हमारे सामने मुंह खोले खड़ा है। नफ़रत और हिंसा की आग हमारी उन समस्त परम्पराओं को जला देने पर तत्पर है, जिनके लिए हम समस्त संसार में विख्यात थे और आदर एवं प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते थे

था कि इन पौधों को हाथ न लगाया जाए, किन्तु हम उनकी सुरक्षा में असफल रहे। इसके फलस्वरूप हिंसा और टकराव का दानव हमारे सामने मुंह खोले खड़ा है। नफ़रत और हिंसा की आग हमारी उन समस्त परम्पराओं को जला देने पर तत्पर है, जिनके लिए हम समस्त संसार में विख्यात थे और आदर एवं प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते थे। हमारी ग़लतियों ने बाहरी देशों में हमारा सिर नीचा कर दिया और हमारी स्थिति यह हो गयी कि हम मुंह दिखाने योग्य नहीं रह गये। नफ़रत की इस आग को बुझाइये और याद रखिये ! जब यह हिंसा किसी देश या क़ौम में आ जाती है तो फिर दूसरे धर्म वाले ही नहीं, अपनी ही क़ौम और धर्म की जातियां और बिरादरियां, परिवार, मुहल्ले, कमज़ोर और मोहताज इन्सान और जिनसे लेशमात्र भी विरोध हो, उसका निशाना बनते हैं।'

(महान इस्लामी विद्वान मौलाना अली मियां रह.)



'हिन्दू और मुसलमान दोनों 1,000 वर्षों से हिन्दुस्तान में रहते चले आते हैं, लेकिन अभी तक एक-दूसरे को समझ नहीं सके। हिन्दू के लिए मुसलमान एक रहस्य है, मुसलमान के लिए हिन्दू एक मुअम्मा। न हिन्दू को इतनी फ़ुरसत है कि इस्लाम के तत्वों की छानबीन करे, न मुसलमान को इतना अवकाश कि हिन्दू-धर्म-तत्वों के सागर में ग़ोते लगाए, दोनों एक-दूसरे में बेसिर-पैर की बातों की कल्पना करके माथा फुटौवल करने पर आमादा रहते हैं। हिन्दू समझता है कि दुनिया भर की बुराइयां मुसलमानों में भरी हुई है, इनमें न दया है, न धर्म, न सदाचार, न संयम। मुसलमान समझता है हिन्दू पत्थरों को पूजने वाला, गरदन में धागे डालने वाला, माथा रंगने वाला और दाल-भात खाने वाला पशु है। दोनों एक-दूसरे के साये से बचते हैं। और दोनों में जो बड़े से बड़े धर्माचार्य हैं वह इस भेदभाव में सबसे आगे हैं। मानों द्वेष और विरोध ही धर्म का प्रधान लक्षण है। हम इस समय हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य पर कुछ नहीं कहना चाहते। मौलाना शौकत अली के साथ हमारा भी यह विश्वास है कि यह दशा अस्थायी है और वह समय दूर नहीं है जब हिन्दू और मुसलमान दोनों अपनी ग़लती पर पछताएंगे और अगर मनुष्यता और सज्जनता से प्रेरित होकर नहीं तो आत्मरक्षा के लिए संयुक्त होना आवश्यक समझेंगे।'

(महान साहित्यकार एवं लेखक मुंशी प्रेमचंद जी)

'आम तौर पर लोग इस ग़लतफ़हमी में फंसे हुए हैं कि दस भिन्न-भिन्न विचारों वाले लोगों की बातों को सही ठहरा देना सहिष्णुता है। हालांकि वास्तव में यह सहिष्णुता नहीं है, बल्कि मिथ्याचार है। सहिष्णुता का अर्थ यह है कि जिन लोगों की आस्थाएं या कर्म हमारे विचार में ग़लत हैं उनको हम सहन करें। उनकी भावनाओं को देखते हुए उन पर कोई ऐसी टिप्पणी न करें, जो उनको दुख पहुंचाने वाली हों, और उन्हें उनकी आस्थाओं से फेरने या उनके अमल से रोकने के लिए ज़ोर-ज़बरदस्ती न करें।

इस तरह का संयम और इस तरीक़े से लोगों को आस्था और कर्म की आज़ादी प्रदान करना न केवल यह कि प्रशंसनीय है बल्कि विभिन्न विचारों वाले संगठनों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है।'

(विख्यात इस्लामी विचारक मौलाना मौदूदी रह.)

'यह एक हक़ीक़त है और बहुत ही दर्दनाक हक़ीक़त है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर बार-बार ऐसा वातावरण बना दिया जाता है कि अवाम का एक वर्ग बुद्धि एवं विवेक को त्याग बैठता है और दंगों, हंगामों, हत्या एवं तोड़-फोड़ का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। दंगों और हंगामों की आग जहां भड़कती है, प्रायः वहीं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दूरदराज़ के स्थान भी इसकी लपेट में आ जाते हैं। यह स्थिति किसी विशेष धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए चिन्तनीय है। इसके कारण धर्म पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है।

देश के गंभीर लोग यह सोचने पर मजबूर हो सकते हैं, बल्कि हो रहे हैं कि धर्म एक जुनून (उन्माद) है। यह केवल तोड़फोड़ एवं लड़ाई-झगड़े का माध्यम है। इससे मनुष्य के कल्याण की आशा नहीं की जा सकती और इससे दूर रहने में ही भलाई है। हो सकता है यह धर्म के विरुद्ध एक षड्यंत्र और उसे बदनाम करने का एक तरीक़ा हो। इस पर धार्मिक वर्ग को गंभीरता से सोचना चाहिए और इससे बचाव का प्रयास करना चाहिए।

(महान इस्लामी विद्वान और लेखक, मौलाना जलालुद्दीन उमरी)

'दानशीलता, विशालहृदयता और प्रेम-इसी का नाम जीवन है। जहां कंजूसी, संकीर्णता और नफ़रत पाई जाती हो, वहां जीवन का नहीं मृत्यु का दौर-दौरा होता है। मरे हुए से हम कोई आशा नहीं कर सकते। सारी आशाएं जीवन से सम्बद्ध हैं। व्यक्तित्व की पूर्णता का रहस्य वास्तव में दानशीलता और उदारहृदयता में निहित है। यह ऐसी वास्तविकता है, जिसकी ओर से साधारणतया लोग लापरवाह दिखाई देते हैं। यही कारण है कि वे जीवन के वास्तविक सुख-चैन से वंचित रह जाते हैं। उन्हें वह शान्ति और संतोष प्राप्त नहीं होता तो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। दीन या धर्म ने हमेशा इस बात की शिक्षा दी है कि हर प्रकार की तंगनज़री और तंगदिली से स्वयं को आज़ाद रखें। दीन और धर्म की आधारशिला वास्तव में हमारी आवश्यकताओं और नैसर्गिक इच्छाओं पर ही रखी गयी है। परस्पर प्रेम और उदारता की परिणति है कि हम एक-दूसरे के शुभचिन्तक हों। सभी लोगों की भलाई और कल्याण पर ध्यान दें। हम किसी का भी अहित न चाहें। अच्छे इन्सान वही हैं जो उपद्रव और बिगाड़ से घृणा करते हैं और चाहते हैं कि संसार में शान्ति की स्थापना हो। वह उसके लिए हर सम्भव प्रयास करते हैं कि इन्सान आपस में मिल-जुलकर रहें और हर प्रकार के दंगे और बिगाड़ से दूर रहें। धर्म जो प्रेम की शिक्षा देने आया हो, वह कभी भी बिगाड़ को पसन्द नहीं कर सकता।

(महान इस्लामी विद्वान एवं लेखक मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां, अनुवादक-क़ुरआन 'हिन्दी')

■■

नफ़रत की इस आग को बुझाइये और याद रखिये ! जब यह हिंसा किसी देश या कौम में आ जाती है तो फिर दूसरे धर्म वाले ही नहीं, अपनी ही कौम और धर्म की जातियाँ और बिरादरियां, परिवार, मुहल्ले, कमज़ोर और मोहताज इन्सान और जिनसे लेशमात्र भी विरोध हो, उसका निशाना बनते हैं।'

“सदक़े से माल में कमी नहीं आती।
भलाई के कामों में
ख़र्च करो,
तुम पर
ख़र्च किया
जाएगा।”

(हदीस : मुस्लिम, बुख़ारी)



A Well Wisher
Hyderabad

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

“पर्यावरण संरक्षण और निरंकुश नव-पूंजीवाद”

पर्यावरण संबंधी वर्तमान समस्याएं कोई आकस्मिक घटना नहीं हैं, बल्कि लोभ और लूट पर आधारित आर्थिक-राजनीतिक ढांचे की अनिवार्य पैदाइश हैं। इस संकट को जन्म देने वाले निरंकुश पूंजीवादी कारकों को नज़रअंदाज़ करना कोरी मासूमियत होगी। ‘पर्यावरण सुरक्षा और निरंकुश पूंजीवाद, दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते।’



पृथ्वी हर इन्सान की ज़रूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक इन्सान की लालच को नहीं। वर्तमान वैश्विक पर्यावरण संकट के संबंध में मानव लोभ की यह उक्ति सटीक बैठती है। पर्यावरणविदों और जानकारों का कहना है कि वर्तमान पर्यावरण संकट मनुष्य के लोभ का परिणाम है। पर्यावरण संबंधी वर्तमान समस्याएं कोई आकस्मिक घटना नहीं हैं, बल्कि लोभ और लूट पर आधारित आर्थिक-राजनीतिक ढांचे की अनिवार्य पैदाइश हैं। इस संकट को जन्म देने वाले निरंकुश पूंजीवादी कारकों को नज़रअंदाज़ करना कोरी मासूमियत होगी। ‘पर्यावरण सुरक्षा और निरंकुश पूंजीवाद, दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते।’

पूंजीवाद का कचरा आज पर्यावरण संकट के रूप में हमारे सामने है। पिछले कई दशकों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में गहरी चिंताएं व्यक्त की जा चुकी हैं, लेकिन क़वायदें सदैव कमज़ोर साबित हुईं। आज पूंजीवाद के प्रमुख कचरों में प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है।

प्लास्टिक के निपटारे के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम के तहत दुनिया के लिए वर्ष 2018 में एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत आगामी 7 वर्षों यानी वर्ष 2025 तक दुनिया से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में कई देशों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन इस कार्यक्रम की अब तक की रिपोर्ट बताती है कि प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए जो भी लक्ष्य इस अभियान के तहत रखे गए हैं उनसे दुनिया अभी कोसों दूर है। ऐसा क्यों है, इसको समझने की ज़रूरत है।

पूंजीवाद का कचरा आज पर्यावरण संकट के रूप में हमारे सामने है। पिछले कई दशकों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में गहरी चिंताएं व्यक्त की जा चुकी हैं, लेकिन क़वायदें सदैव कमज़ोर साबित हुईं। आज पूंजीवाद के प्रमुख कचरों में प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है।

हमारे देश में भी गत एक जुलाई से पूरे देश में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) की सभी वस्तुओं के इस्तेमाल और उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन यह प्रतिबंध काग़ज़ों और भाषणों में ही नज़र आ रहा है, जबकि ज़मीन पर नहीं के बराबर दिख रहा है। एसयूपी (सिंगल यूज़ प्लास्टिक) की जिन 19 वस्तुओं पर पूर्ण पाबंदी है, वह अभी भी बाज़ारों में धड़ल्ले से मिल रही हैं।

सवाल उठता है कि एसयूपी पर लगाए गए इन प्रतिबंधों का पालन कैसे सुनिश्चित हो पाएगा? प्रतिबंध अधिसूचित करना और इसे ज़मीन पर





लागू करना दो अलग-अलग बातें हैं। देश को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करना आसान नहीं है। स्टेट ऑफ़ इंडियाज़ एन्वायरमेंट रिपोर्ट-2022 के अनुसार, भारत में हर रोज़ 25 हज़ार 950 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। वायु प्रदूषण के साथ-साथ दिल्ली इस मामले में पहले नंबर पर है, जहां रोज़ाना 689.8 टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। कोलकाता दूसरे और चेन्नई तीसरे नंबर पर है। यहां रोज़ क्रमशः 429.5 टन और 429.4 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। देश में पिछले तीन दशकों के दौरान प्लास्टिक के उपयोग में 20 गुना बढ़ोत्तरी हुई है।

एकल उपयोग प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) का 60 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 1.10 करोड़ मीट्रिक टन अलग-अलग पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 30 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक को अन्य उपयोग में ले लिया जाता है। इस कचरे की रीसाइक्लिंग आसान नहीं है। कबाड़ी भी प्लास्टिक का हर आइटम नहीं लेता। रीसाइक्लिंग भी केवल साफ़ वस्तुओं की ही हो सकती है। अगर उनमें खाने-पीने की कोई सामग्री लगी हुई है तो उसकी रीसाइक्लिंग नहीं हो पाएगी।

लाखों मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा अलग-अलग तरह की परेशानियां पैदा करता है। यह हर तरह से हानिकारक होता है। प्लास्टिक कचरे के अंश ज़मीन में जाकर भूजल को प्रदूषित करते हैं और नदियों में गिरकर उसके पानी को, इसमें आग लगाई जाए तो हवा में प्रदूषित गैसें फैल जाती हैं। इसके अलावा भी यह विभिन्न प्रकार से स्वास्थ्य को नुक़सान पहुंचा रहा है।

वैसे तो हर तरह का प्लास्टिक पर्यावरण के लिए ख़तरनाक होता है, लेकिन एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, स्ट्रॉ और खाने पीने के सामानों की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक पर्यावरण के लिए

भारत में प्लास्टिक कचरा

स्टेट ऑफ़ इंडियाज़ एन्वायरमेंट रिपोर्ट-2022 के अनुसार, भारत में हर रोज़ 25 हज़ार 950 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। वायु प्रदूषण के साथ-साथ दिल्ली इस मामले में पहले नंबर पर है, जहां रोज़ाना 689.8 टन प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। कोलकाता दूसरे और चेन्नई तीसरे नंबर पर है। यहां रोज़ क्रमशः 429.5 टन और 429.4 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। देश में पिछले तीन दशकों के दौरान प्लास्टिक के उपयोग में 20 गुना बढ़ोत्तरी हुई है।



एकल उपयोग प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) का 60 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 1.10 करोड़ मीट्रिक टन अलग-अलग पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 30 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक को अन्य उपयोग में ले लिया जाता है। इस कचरे की रीसाइक्लिंग आसान नहीं है। कबाड़ी भी प्लास्टिक का हर आइटम नहीं लेता। रीसाइक्लिंग भी केवल साफ़ वस्तुओं की ही हो सकती है। अगर उनमें खाने-पीने की कोई सामग्री लगी हुई है तो उसकी रीसाइक्लिंग नहीं हो पाएगी।

विश्व में प्लास्टिक कचरा



- 1950 से शुरू हुआ उत्पादन
- 380 मिलियन मीट्रिक टन सालाना उत्पादन
- 1 वर्ष में उत्पादित प्लास्टिक की मात्रा मानवता के पूरे भार के बराबर
- 12 लाख प्लास्टिक की बोतल प्रति मिनट उपयोग होती हैं धरती पर
- 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग का सालाना उत्पादन होता है
- 1000 साल लगेंगे इन प्लास्टिक को ख़त्म होने में पृथ्वी से
- 60 देशों में बना है प्लास्टिक पर रोक का क़ानून

बेहद ही ख़तरनाक होता है। यह हमारे पर्यावरण के विनाश का कारण बनता जा रहा है। ज़मीन से लेकर समुद्र तक, गांव से लेकर शहर तक और मैदान से लेकर पहाड़ तक इसका प्रकोप जारी है। वैसे यह सवाल महत्वपूर्ण है कि इसे रोकने के लिए लगने वाले तमाम तरह के प्रतिबंध निष्प्रभावी क्यों साबित हो रहे हैं? इसको समझने की ज़रूरत है।

वास्तविकता यह है कि औद्योगिक क्रांति के साथ नवपूंजीवाद ने आधुनिक पर्यावरण प्रदूषण को जन्म दिया। बीसवीं सदी के अंतिम दिनों और इक्कीसवीं सदी के आरंभ में पूंजीवादी/बाज़ारवादी उत्पादन की एक नई संरचना उभर कर सामने आई, जिसने अब अपने फ़ायदे के लिए ऐसा तंत्र विकसित कर लिया है जो सभी सरकारों, ग़ैर-सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और एजेंसियों को अपने पक्ष में या तो प्रेरित कर लेता है या ख़रीद लेता है और इनके ऊपर उंगली उठाने वाली तथा इनका भंडाफोड़ करने वाली आवाज़ें नक्कारख़ाने में तूती की आवाज़ बनकर रह जाती हैं।



इस वैश्विक पूंजीवाद को फ़ायदा पहुंचाने वाले तंत्र ने वैश्विक पर्यावरण और तमाम पारिस्थितिकी-तंत्रों को दूषित करके रख दिया है। इस विनाशक पूंजीवाद ने न केवल पर्यावरण संकट पैदा किया है, बल्कि पारिस्थितिकी-तंत्र की प्राकृतिक सीमाओं के अतिक्रमण की परिस्थितियां पैदा करके एक के बाद एक नए-नए संकटों के सिलसिले की शुरुआत कर दी है।

आज दुनिया की अधिकतर राजनीतिक व्यवस्थाएं पूंजीवाद के प्रभाव में हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2018 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी का निशान लगाने का निर्णय लिया था, लेकिन ताक़तवर बहुराष्ट्रीय निगमों के दबाव में आकर इसे स्थगित कर दिया। सरकारें बहुराष्ट्रीय निगमों को मुनाफ़े के लिए बहुत-सी छूट देती हैं। अतः उसके पर्यावरण संबंधी दुष्प्रभावों की क़ीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। वर्तमान पर्यावरण संकट और निरंकुश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आपस में गहरा संबंध है। प्रकृति, जलवायु और पर्यावरण की समस्याओं और सरोकारों से दूर पूंजीवादी हवस मुनाफ़ा बटोरने में लगी हुई है। मुनाफ़े की इस भूख के कारण ऐसी विनाशकारी जैव तकनीकें तक अपनाई जा रही हैं, जोकि जानलेवा बीमारियों का कारण बन रही हैं।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण संकट के इन नवपूंजीवादी कारकों को समेटने वाले दृष्टिकोण को अपनाए बिना इस संकट के हल के बारे में सोचना मासूमियत होगी। पर्यावरण संबंधी वर्तमान समस्याएं कोई विस्मयकारी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वर्तमान पूंजीवादी, आर्थिक-राजनीतिक ढांचे की देन हैं। यह ढांचा हमें बताता है कि लोभ और लालच पर आधारित इस तंत्र की जगह पर एक ऐसे मानवीय नैतिक तंत्र की स्थापना की ज़रूरत है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का केवल न्यूनतम और विवेकसंगत इस्तेमाल हो ताकि पृथ्वी और इसकी प्रकृति को हो रही भारी क्षति से बचाया जा सके।

इसके लिए ज़रूरी है कि विकास के लक्ष्य ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हासिल किए जाएं। मनुष्य के हित, उसके समुदाय के हित और प्रकृति के हित के बीच सामंजस्य बना रहे। प्रकृति का अनियंत्रित दोहन और निरंकुश पूंजीवादी लूट में मानवता का कोई भविष्य नहीं हो सकता।

धरती को यदि मौक़ा दिया जाए तो वह अपने घावों को काफ़ी तेज़ी से ख़ुद ही भर सकती है। इसके लिए अपने सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता तथा सरोकार पैदा करने वाले आंदोलनों की ज़रूरत है। कुछ लोगों के विवेकहीन और बेहिसाब लाभ के लिए अरबों लोगों के भविष्य को संकट में डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पूंजीवादी केंद्रों द्वारा लगातार विनाश की ओर धकेले जा रहे अरबों लोगों को अपने अधिकारों और मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष करने के लिए एकजुट करने वाले आंदोलनों की ज़रूरत है। ऐसे आंदोलन जो हर मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय अधिकारों की आवाज़ बन सकें और वर्तमान वैश्विक संस्थाओं तथा सत्ता के केंद्रों पर निरंतर नैतिक दबाव बनाते रहने का काम करें। वर्तमान परिवेश में आज ज़रूरत इस बात की है कि हम भविष्य के लिए ऐसा नया रास्ता चुनें जो सम्पन्नता के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं तथा मानव मात्र के कल्याण के बीच संतुलन को क़ायम रख सके। ■■

अभिमत



अखिलेश आर्येंदु

प्लास्टिक का विकल्प और सवाल

एक जुलाई से प्लास्टिक और थर्माकोल से बने कई उत्पादों पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। ग़ौरतलब है कि इसके पहले 23 दिसम्बर 2019 को प्लास्टिक के थैलों पर रोक लगाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय प्लास्टिक से बढ़ रहे वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण के मद्देनज़र रोक लगाने का निर्देश केंद्र सरकार को पहले ही दे चुका है। केंद्रीय पर्यावरण के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 16 जून, 2021 को इस आशय का निर्णय लेने के बाद 18 जून, 2021 को इसे गजट में प्रकाशित किया था।



गजट प्रकाशन के एक सौ अस्सी दिन बाद 15 दिसंबर 2021 को प्लास्टिक के कई उत्पादों पर रोक लगाने का फ़ैसला किया गया था, लेकिन इसे लागू अब एक जुलाई से किया गया। केंद्र सरकार का यह क़दम जलवायु संकट की रोकथाम के मद्देनज़र उठाया गया है। इसे असरदार तरीक़े से लागू करने के लिए सरकार ने जहां नियम बनाएं हैं, वहीं इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े क़ानून भी बनाए गए हैं। अब देखना यह है कि इस बार नए आदेश पर अमल कितना और कैसे हो पाता है और सरकारी व अर्धसरकारी विभागों में कितनी कड़ाई से इसका पालन कराया जाता है?

पर्यावरण के लिए बेहद नुक़सानदायक माने जाने वाली प्लास्टिक थैलियों, बर्तनों और दूसरे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की पहल हो चुकी है, लेकिन दूसरे क़ानूनों की तरह ही प्लास्टिक उत्पादों को ख़रीदने-बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाले क़ानून को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। यही वजह है कि दिल्ली सहित दूसरे राज्यों में धड़ल्ले के साथ प्लास्टिक के सभी तरह के उत्पाद अभी भी बिक रहे हैं।

एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और थर्माकोल पर पाबंदी के बाद यह सवाल बार-बार उठ रहा है कि आख़िर इसका विकल्प क्या हो। हालांकि विकल्प तलाशना और व्यवहार में लाना असंभव काम नहीं है। इसके अलावा एक सवाल प्लास्टिक उत्पादों के उद्योगों से भी जुड़ा है, जो तत्काल और स्थायी समाधान मांगता है। जहां तक बात प्लास्टिक उत्पादों के विकल्प की है तो भारतीय कुटीर उद्योग परंपरा में इस्तेमाल की जाने वाली तमाम चीज़ें जैसे काग़ज़, फाइबर और मिट्टी के बनाए बर्तन आदि इसमें शामिल किए जा सकते हैं।

काग़ज़ के थैलों के चलन को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर प्लास्टिक की थैलियों को चलन से बाहर किया जा सकता है। ग़ौरतलब है कि भारतीय स्वदेशी उत्पादों में कुम्हारी कला के ज़रिये बनाए गए बर्तन भी आते हैं। मानव सभ्यता को सबसे ज़्यादा नुक़सान पहुंचाने वाले प्लास्टिक के उत्पादों की जगह ये सबसे बेहतर विकल्प हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक उत्पादों में थैलियां, पैकिंग फिल्म, फोम वाले कप-प्याले, कटोरे, प्लेट, लेमिनेट किए गए कटोरे व प्लेट, छोटे प्लास्टिक कप और कंटेनर जैसे प्लास्टिक उत्पाद शामिल हैं। इनकी खपत रोज़मर्रा में सबसे ज़्यादा होती है। इनकी जगह मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कई तरह से मुफ़ीद हो सकता है।

प्लास्टिक धरती के लिए ख़तरा इसलिए बन गया है कि यह आसानी से नष्ट नहीं होता। ज़ाहिर है, ऐसे में इसका कचरा बढ़ता रहेगा। प्लास्टिक कचरे के बारे में एक अनुमान यह है कि दुनिया में आज जितना प्लास्टिक कचरा है, उससे तीन माउंट एवरेस्ट के बराबर तीन पहाड़ खड़े किए जा सकते हैं। मुश्किल यही है कि सामान्य प्लास्टिक को सड़ने में भी दो सौ से पांच सौ साल चाहिए, ख़त्म होना तो दूर की बात है। इसके बावजूद प्लास्टिक उत्पादों से लोग छुटकारा नहीं पा रहे हैं। वजह साफ़ है कि यह सस्ता है और हर जगह आसानी से उपलब्ध है। इसलिए इसके ज़हरीलेपन को भी नज़रअंदाज़ कर धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्लास्टिक कचरे का ख़तरा इसलिए भी बढ़ गया है कि इसका अस्सी फ़ीसद हिस्सा समुद्र में जा रहा है और समुद्री पर्यावरण तेज़ी से बिगड़ रहा है। समुद्र में पाए जाने वाले स्तनधारी जीव तक प्लास्टिक खा जाते हैं और अकाल मौत का शिकार बन रहे हैं। अनुमान के मुताबिक़ प्लास्टिक खाकर हर साल तक़रीबन एक लाख समुद्री जीव-जंतु मर जाते हैं, जिनमें सील, व्हेल, समुद्री कछुए भी शामिल हैं। मछलियों की तो कोई गिनती ही नहीं है।

झारखंड, बिहार, ओडीशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित देश भर में प्रचलित कुटीर उद्योगों में शुमार मिट्टी के बेहतरीन बर्तनों और पत्तों से बने दोने-पत्तलों का चलन अब बीते वक़्त की बात हो चली है। इससे जुड़े कुम्हार और दूसरे समुदाय के लोगों के सामने जीविका का संकट भी खड़ा ही है। ग़ौरतलब है, मुसहर जाति के लोगों की जीविका का एकमात्र साधन दोने-पत्तल और खजूर की पत्तियों से झाड़ू बनाना रहा है। गांव-देहात में इनकी ज़्यादा खपत होने की वजह से इससे जुड़े परिवार गांवों में जाकर इन्हें बेच लेते थे या लोग उनके यहां जाकर ख़रीद लाते थे, लेकिन बदलते वक़्त में गांवों में भी जिस तरह से शहरीकरण और बाजारीकरण पसरा है, तब से गांवों में न दोने-पत्तलों की ज़रूरत रह गई है और न मिट्टी के बर्तनों की। देश के कई इलाक़े ऐसे हैं जहां परंपरागत रोज़गार अभी भी प्रचलन में हैं, लेकिन वे भी पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गए हैं।

इसकी वजह भी हर जगह काग़ज़ और प्लास्टिक के बने दोने-पत्तलों और बर्तनों का बढ़ता प्रचलन है। ग़ौरतलब यह भी कि जो परिवार पिछले आठ-दस पीढ़ियों से इस कारोबार से जुड़े थे, वे अब मजबूरी में दूसरे पेशों में लग गए हैं। अभी भी जो परिवार मजबूरी में अपने परंपरागत व्यावसायों में लगे हैं, उनके सामने और गंभीर समस्याएं हैं। सबसे पहली तो कच्चे माल की कमी है। कुम्हारों को जहां मिट्टी, पानी, उपले आदि का संकट झेलना पड़ता है, वहीं दोने-पत्तल बनाने वालों को पेड़ के पत्ते आसानी से नहीं मिल पाते। पहले तो जंगलों से पेड़ के पत्ते आसानी से







मिल जाते थे, लेकिन सरकारी क़ानूनों और प्रतिबंधों की वजह से अब तो पत्ते तोड़ना भी अपराध हो गया है।

पर्यावरण के लिए बेहद नुक़सानदायक माने जाने वाली प्लास्टिक थैलियों, बर्तनों और दूसरे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की पहल हो चुकी है, लेकिन दूसरे क़ानूनों की तरह ही प्लास्टिक उत्पादों को ख़रीदने-बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाले क़ानून को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। यही वजह है कि दिल्ली सहित दूसरे राज्यों में धड़ल्ले के साथ प्लास्टिक के सभी तरह के उत्पाद अभी भी बिक रहे हैं।

केंद्र सरकार के आंकड़े के मुताबिक़ देश भर में पैंसठ लाख परिवार कुम्हारी कला पर निर्भर हैं। इसी तरह तक़रीबन एक लाख मुसहर परिवार आज भी दोने-पत्तल बनाने के परंपरागत काम में लगे हैं। दिल्ली में ही क़रीब डेढ़ हज़ार परिवार कुम्हारी कला से जुड़े हैं, लेकिन उन्हें मिट्टी, पानी और इसमें इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीज़ें आसानी से नहीं मिल पातीं। दूसरी बात यह कि एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक की भरमार होने और सस्ता होने की वजह से भी मिट्टी के बर्तनों की खपत मामूली ही होती है। प्लास्टिक की चमक-दमक और इस्तेमाल करके फेंकने की आदत होने की वजह से भी मिट्टी के उत्पादों से लोग बचते हैं। जबकि मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल से न पर्यावरण को कोई नुक़सान पहुंचता है और न किसी तरह की बीमारी का ख़तरा होता है।

प्लास्टिक धरती के लिए ख़तरा इसलिए बन गया है कि यह आसानी से नष्ट नहीं होता। ज़ाहिर है, ऐसे में इसका कचरा बढ़ता रहेगा। प्लास्टिक कचरे के बारे में एक अनुमान यह है कि दुनिया में आज जितना प्लास्टिक कचरा है, उससे तीन माउंट एवरेस्ट के बराबर तीन पहाड़ खड़े किए जा सकते हैं। मुश्किल यही है कि सामान्य प्लास्टिक को सड़ने में भी दो सौ से पांच सौ साल चाहिए, ख़त्म होना तो दूर की बात है। इसके बावजूद प्लास्टिक उत्पादों से लोग छुटकारा नहीं पा रहे हैं। वजह साफ़ है कि यह सस्ता है और हर जगह आसानी से उपलब्ध है। इसलिए इसके ज़हरीलेपन को भी नज़रअंदाज़ कर धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

सैकड़ों प्लास्टिक उत्पादों की भरमार से क़स्बों और गांवों के कुओं व नहरों का जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। इससे जल स्रोत ज़हरीले होने लगे हैं और लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक सत्तर के दशक के बाद प्लास्टिक का उपयोग शहरी, ग्रामीण और क़स्बाई इलाक़ों में तेज़ी से बढ़ता गया और कई बीमारियों का कारण बन गया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर हम प्लास्टिक की जगह मिट्टी से बने उत्पादों के इस्तेमाल करने लगें तो कितनी बड़ी और गंभीर समस्याओं से निजात पा सकते हैं। संकट प्लास्टिक के विकल्पों का नहीं है, बल्कि इच्छाशक्ति है कि कैसे हम इससे छुटकारा पाएं। ■■

(साभार जनसत्ता)


Hamid 9831382611
G.M. TECH
Wholesaler
All Types of Tempered Glass .
SMART PLAZA, Shop No. # 18 (G. Floor)
80, Mansatala Lane, Khidderpore, Kolkata - 700 023


HAMEED
Phone : 4066 1272
2235 3850
HAMEED & CO.
HOUSE FOR HANDLOOM LUNGIES & HANDKERCHIEFS
84, Rabindra Sarani, Kolkata-700 073

समाधान



जितेंद्र गौतम

आगे की राह



दुनिया के किसी भी प्रसिद्ध प्रबंधन संस्थान या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाने वाले कोर्स में इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि समस्या से ज़्यादा उसका हल खोजें। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि समस्या तो सभी को दिखाई देती है, परंतु समस्या का हल हरेक को दिखाई नहीं देता। पहली बार जब प्लास्टिक की खोज हुई तो इसे एक बड़े विकल्प के रूप में देखा गया, लेकिन आज प्लास्टिक कचरा हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। पूरी दुनिया चिंतित है। 16 देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है और सौ से ज़्यादा देश इसके ख़िलाफ़ क़ानून सख़्त कर रहे हैं। हमारे देश में भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि इसके विकल्प में हम क्या अपनाएं और कैसे इससे पीछा छुड़ाएं। वैसे तो प्लास्टिक के विरुद्ध कई वर्ष से अभियान चल रहा है, लेकिन हम अपने स्तर पर सुधरने को तैयार नहीं हैं। निस्संदेह यह हमारे नाकारा होने का बड़ा प्रमाण है। प्लास्टिक के विकल्प तलाशने के लिए हमें थोड़ा इतिहास को खंगालना होगा। हमें सोचना होगा कि आख़िर किन उत्पादों को बाज़ार से हटाकर प्लास्टिक ने जगह बनाई थी। वहीं से आज प्लास्टिक को हटाने की राह निकलेगी। विकल्प हर उत्पाद का मिल सकता है। बात चाहे कटलरी के उत्पादों की हो या अन्य आवश्यक वस्तुओं की, स्थानीय स्तर पर ही सबका तोड़ मिल सकता है। आवश्यकता बस पीछे मुड़कर देखने की है।

प्लास्टिक के सूक्ष्म कण जिस तरह से हमारे शरीर में पहुंचकर बहुत से असाध्य रोगों को जन्म देते हैं, उसे देखते हुए कम से कम उन प्लास्टिक उत्पादों से जल्द से जल्द छुटकारा पाना ज़रूरी है, जो सीधे भोजन से जुड़े हैं। बाज़ार से हर छोटा-बड़ा सामान पॉलीथीन बैग में लाने की आदत हमें छोड़नी होगी। जूट के थैले इनका आसान विकल्प हो सकते हैं। जहां प्लास्टिक की स्टिक का प्रयोग होता है, वहां लकड़ी से बनी स्टिक को अपनाया जा सकता है। मौजूदा दौर में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का विकल्प भी हमारे सामने है।

बिगड़ती हवा, प्रदूषित पानी और मिट्टी की चुनौती का सामना ग्रीन उत्पादों से ही किया जा सकता है। यदि प्लास्टिक आपदा है तो हमें इस आपदा में अवसर तलाशना होगा। यह बदलाव जहां प्रकृति को प्लास्टिक से मुक्त करने में सक्षम हो सकता है, वहीं रोज़गार के नए अवसर भी सृजित हो सकते हैं। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जो प्लास्टिक से मुक्त कर सके और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देते हुए समृद्धि का भी कारक बने। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध का क़दम तब तक प्रभावी नहीं होगा

जब तक हम सब अपने दैनिक जीवन को प्लास्टिक की अति निर्भरता से मुक्त नहीं करेंगे। इसलिए फिर से पालीथीन छोड़कर झोला उठाने का दौर आ चुका है।

अभी जागरूक होकर हम प्लास्टिक कचरे के भयावह परिणामों को रोक सकते हैं। यह हम सबकी ज़िम्मेदारी है। दुनिया भर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर गंभीरता तो आई है। इस पर एक बड़े प्रतिबंध का समय भी आ चुका है। प्लास्टिक के उपयोग के नाम पर सारी सीमाओं को पार किया जा चुका है। विकल्प के अभाव में भी इस पर पूर्ण प्रतिबंध देश-दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण क़दम माना जाएगा। वैसे भी लंबे समय से सारे नियमों को ताक़ पर रखकर ही इसका बदस्तूर उपयोग बदस्तूर जारी है।

हमें प्लास्टिक से उपजे संकट के बारे में किसी चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम रोज़ इसका सामना कर रहे हैं। हमारे शहर ऐसे प्लास्टिक मैटेरियल से भरे पड़े हैं, जिनसे पर्यावरण को गंभीर नुक़सान पहुंच रहा है। इससे निपटने के लिए हमें ऐसे प्लास्टिक उत्पाद जिन्हें एकत्र करना या रीसाइकिल करना मुश्किल हो, उनका प्रयोग बंद कर देना चाहिए। वर्तमान प्रतिबंध इसी दिशा में उठाया गया क़दम है। इसका लक्ष्य रोज़ाना प्रयोग वाले ऐसे उत्पादों की पहचान करना है, जिन्हें एक बार प्रयोग करके फेंक दिया जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाना है तो



इस सूची में मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग को भी रखा जाना चाहिए। चिप्स से लेकर शैंपू और गुटखे तक कई उत्पादों में ऐसी पैकेजिंग होती है। यह पैकेजिंग बहुत बड़ा संकट है। इन्हें एकत्र कर पाना और रीसाइकिल कर पाना लगभग असंभव होता है।

सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध का फ़ैसला सीमित, लेकिन महत्वपूर्ण है। इसकी सफलता के लिए हम सबको जिम्मेदार बनना होगा। प्लास्टिक के उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण रखना प्रथम प्रयास होना चाहिए। सिंगल-यूज प्लास्टिक बैग की जगह प्लास्टिक के ऐसे प्रकार के बैग बनाए जाएं, जो दोबारा उपयोग करने लायक़ हों। उन्हें रिसाइकल किया जा सके।

इस कचरे से निपटने का एकमात्र तरीक़ा यही है कि इन्हें सीमेंट प्लांट में ईंधन के तौर पर जलाने के लिए भेज दिया जाए। कागजों में यह व्यवस्था बहुत सही लगती है, लेकिन असली समस्या इसके क्रियान्वयन में है।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का फ़ैसला सीमित, लेकिन महत्वपूर्ण है। इसकी सफलता के लिए हम सबको जिम्मेदार बनना होगा। प्लास्टिक के उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण रखना प्रथम प्रयास होना चाहिए। सिंगल-यूज प्लास्टिक बैग की जगह प्लास्टिक के ऐसे प्रकार के बैग बनाए जाएं, जो दोबारा उपयोग करने लायक़ हों। उन्हें रिसाइकल किया जा सके। प्लास्टिक के उपयोग और उसके सुरक्षित निपटान से जुड़े मुद्दों पर सफलता प्राप्त करना एक ठोस पहल मांग करता है। यह ऐसी प्रक्रिया नहीं है, जिसे अमल में न लाया जा सके। वर्तमान प्रतिबंध के सफल क्रियान्वयन के बाद इस ओर और क़दम बढ़ाए जाएं। हमें प्रतिबंधित सूची में रखे गए किसी भी उत्पाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए साथ ही लोगों को इसे इस्तेमाल न करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ■■



पर्यावरण संरक्षण क़ानूनों में बदलाव और हमारी प्रतिबद्धताएं

समसामयिक



अरशद शेख़

हाल में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े क़ानूनों में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव दिया है। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित क़ानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर मिलने वाली सज़ा को केवल जुर्माने तक सीमित रखना है और पर्यावरण को नष्ट करने के जुर्म में जेल जाने की संभावनाओं को यथासंभव समाप्त करना है। वर्ष 1986 में पारित हुआ पर्यावरण संरक्षण क़ानून (The Environment Protection Act, 1986) पर्यावरण का विनाश करने से रोकने के लिए राज्य के हाथ में एक कारगर क़ानूनी हथियार के तौर पर काम करता है। इस क़ानून को अंतिम बार सन् 1991 में संशोधित किया गया था। इस क़ानून के प्रावधानों के मुताबिक़ पर्यावरण को हानि पहुंचाने वालों को पांच साल तक का कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सज़ा मुक़र्रर की गई है। दोषी सिद्ध होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति या संस्था पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के क्रिया-कलापों में संलिप्त पाये जाते हैं तो इस क़ानून के मुताबिक़ 5000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनसे उस समय तक का जुर्माना वसूला जाएगा जिस समयावधि तक वे इन कार्यों में संलिप्त रहे हैं। इसके अलावा कारावास की सज़ा भी है जो सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

सरकार ने पर्यावरण संरक्षण क़ानून में बड़े बदलाव के प्रस्तावों को रखा है। इन प्रस्तावों में इस क़ानून के उन प्रावधानों, जो कारावास के दंड का प्रावधान देते हैं, को बदल कर केवल

आर्थिक जुर्माने तक सीमित किया है। हालांकि इस प्रस्ताव में एक अच्छी बात यह है कि जुर्माने की जिस संशोधित राशि को इस क़ानून में जोड़ने की बात की जा रही है वह इस क़ानून के वर्तमान प्रावधानों से पांच सौ गुना अधिक है। जुर्माने की यह राशि पांच लाख से बढ़ाकर पांच करोड़ तक की जा सकती है।

उल्लंघन के गंभीर मामलों में अगर गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचती हो या मृत्यु हो जाती हो, ऐसे मामले भारतीय दंड संहिता 1860 और पर्यावरण संरक्षण क़ानून की धारा 24 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होंगे। हालांकि पर्यावरण से जुड़े क़ानूनों में कारावास के प्रावधानों को हटाने से संबंधित प्रस्तावों में से एक एयर एक्ट और वाटर एक्ट भी है जो क्रमशः वायु एवं जल को प्रदूषित करने के संबंध में है। वायु या जल संबंधी प्रदूषण फैलाने का दोषी पाए जाने पर जुर्माने की मात्रा पहुंचाए गए नुक़सान के अनुपात में निर्धारित की जाएगी। अगर दोषी जुर्माने की राशि अदा करने में असफल रहता है तो उसे कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। ऐसे मामलों में एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जिसका कार्य पर्यावरण को पहुंचाई गई क्षति का आकलन कर जुर्माने की राशि का निर्धारण करना होगा। इन आर्थिक जुर्माने के माध्यम से पैदा होने वाली धनराशि को एक 'पर्यावरण संरक्षण कोष' (Environment Protection Fund) में जमा किया जाएगा, जिसकी आय प्रभावितों को मुआवज़े के रूप में भेजी जाएगी।



पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश को रोकने वाले स्थान लगातार संकुचित होते जा रहे हैं। यह स्थिति हमारे सोचने से कही ज़्यादा चिंताजनक है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क़ानूनों में किसी भी तरह का संशोधन वैज्ञानिक रिपोर्टों, प्रमाणिक तथ्यों और व्यापक अध्ययन के बाद ही किया जाना चाहिए अन्यथा परिणाम विनाशकारी भी हो सकते हैं।

सरकार का कहना है कि उसे पर्यावरण संरक्षण क़ानून की मौजूदा धाराओं को अपराध से मुक्त करने के सुझाव मिले हैं ताकि ''साधारण उल्लंघनों के लिए कारावास का डर'' दूर हो सके। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) द्वारा किए गए एक अध्ययन के नतीजे में 'डिक्रिमिनलाइज़ेशन' को उचित ठहराया जा रहा है। इस अध्ययन में देश भर की अदालतों में लंबित पर्यावरण संरक्षण से जुड़े क़ानूनों के उल्लंघन के मामलों का हवाला दिया गया है। अध्ययन में कहा गया है की देश भर की अदालतों में ऐसे केसों के निपटारे में 9 से लेकर 33 साल तक का समय लग सकता है। वर्ष 2018 से लेकर अब तक 45,000 केस ट्रायल के लिए सूचीबद्ध हैं, जबकि हर वर्ष 35000 नए केस सामने आ रहे हैं।



एक अन्य अध्ययन में सामने आया है कि वर्ष 2018 से 2021 के बीच सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित पांच प्रतिकूल फ़ैसलों के कारण सरकार को 23500 करोड़ की आय का नुक़सान हुआ। यह अनुमान लगाया गया कि सरकार को 8 हज़ार करोड़ के राजस्व से हाथ धोना पड़ा, जबकि उद्योगों को 15000 करोड़ रुपए और श्रमिकों को लगभग 500 करोड़ रुपये की आय का नुक़सान हुआ। इन फ़ैसलों से 16000 नौकरियां ख़त्म हो गईं जिससे 75000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए।

नीति आयोग द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है कि पर्यावरण क़ानूनों के उल्लंघन के मामलों में दोष निर्धारण की दर काफ़ी धीमी है जो वर्तमान पर्यावरण संरक्षण से जुड़े क़ानूनों की निरोधक क्षमता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है।

पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार हो रहे क्षरण को नियंत्रित करने में लापरवाही की क़ीमत हम सभी को चुकानी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था को भी इससे जो नुक़सान होगा उसकी भरपाई संभव नहीं है। एक ज़िम्मेदार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के दावेदार देश के रूप में हमें जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशीलता दिखानी होगी।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े क़ानूनों में प्रस्तावित संशोधनों से उद्योगों को लाभ पहुंचेगा और लंबा समय लेने वाली क़ानूनी प्रक्रिया से निजात मिलेगी, लेकिन इस परिवर्तन का लाभ केवल बड़े उद्योगों को ही मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल जुर्माने के प्रावधान तक सीमित रहना इन क़ानूनों की निरोधक क्षमता पर प्रभाव डालेगा। जुर्माने के निर्धारण के लिए न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान से कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि यह एक तरीक़े से भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देगा, क्योंकि प्रस्तावित संशोधनों में जुर्माने के निर्धारण के संबंध में न्यायिक अधिकारी को बेहिसाब शक्तियां प्रदान की गई हैं।

भारत को पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण वाले शहरों में 63 भारत में हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार, ज़्यादातर भारतीय ऐसी जगहों में रहते हैं, जहा वायु की गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के मुताबिक़ नहीं है। बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण ने आम भारतीय की औसत जीवन आयु पांच वर्ष घटा दी है।

मशहूर पत्रिका लैंसेट में छपे हुए एक अध्ययन में बताया गया है कि वर्ष 2019 में बढ़ते प्रदूषण के चलते 2.3 मिलियन प्री मैच्योर डेथ के मामले सामने आए जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थे। इसके अलावा 16 लाख मौतें वायु प्रदूषण और 5 लाख मौतें जल प्रदूषण के कारण हुईं। प्रदूषण के कारण देश को हर साल लगभग 80 बिलियन डॉलर का नुक़सान हो रहा है जो कुल जीडीपी का 5.7 प्रतिशत है। यह आंकड़ें विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2013 में किए गए एक अध्ययन में सामने आए।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव, एंटोनियो गुटारेस ने हाल ही में कहा, 'हम महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई में देरी नहीं कर सकते। 1.5 डिग्री के लक्ष्य को ज़िंदा रखने की जंग इस दशक में ही जीती या हारी जाएगी। जबकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030 तक 45 प्रतिशत वैश्विक उत्सर्जन में कमी की आवश्यकता है। अब देखना यह है कि क्या हमारे क़ानूनों में प्रस्तावित संशोधन नेट ज़ीरो उत्सर्जन की हमारी प्रतिबद्धता में मदद करेंगे या इसे और ख़तरे में डालेंगे? ■■

"कमज़ोर और विधवा महिला और मुहताज की सहायता करने के लिए दौड़-धूप करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है या रात्रि में खड़े रहने वाले इबादतगुज़ार या दिन में रोज़ा रखने वाले की तरह है।"

(हदीस: मुसनद अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा)



with best compliment from

Abdul Naim Khan

Hyderabad

आत्मचिंतन का समय





ज्वलंत



डॉ. प्रदीप कुमार

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने गत माह सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से चल रही 'कंगारू कोर्ट' के बढ़ते प्रचलन पर गहरी चिंता व्यक्त की। एनवी रमण ने कहा कि "मीडिया ट्रायल की बढ़ती संख्या न्याय के लिए बाधा साबित हो रही है, और मीडिया द्वारा चलाए जा रहे "कंगारू कोर्ट" लोकतंत्र के स्वास्थ्य को नुक़सान पहुंचा रहे हैं।'' जस्टिस सत्यव्रत सिन्हा के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा, "मैं मीडिया, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से ज़िम्मेदारी से व्यवहार करने का आग्रह करता हूं।"

भारत के प्रधान न्यायाधीश रमण ने जो कहा उसका आशय है कि आज न्याय देने वाली संस्था के समक्ष यह सबसे बड़ी चुनौती है कि बिना पुख़्ता सबूतों और न्याय प्रक्रिया का पालन किए बग़ैर मनमाने ढंग से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी को भी आरोपी के कटघरे में खड़ा कर देता है और एक ख़ास परसेप्शन बनाते हुए उसे दोषी भी सिद्ध कर देता है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी की ज़मानत ख़ारिज करते हुए कहा था कि "अब समस्या इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया द्वारा विशेष रूप से टूल किट के उपयोग से कई गुना बढ़ गई है। विभिन्न चरणों और मंचों पर, यह देखा गया है कि मीडिया द्वारा ''कंगारू अदालतों'' को चलाने वाले ग़ैर-सूचित और एजेंडा संचालित बहसें की जा रही हैं।"

ऐसे में सवाल उठता है कि टीवी चैनलों और सोशल मीडिया में उत्तेजक बहसों से क्या न्यायपालिका पर दबाव पड़ता है? हाईप्रोफाइल और बड़े आपराधिक मामलों में मीडिया ट्रॉयल से क्या न्यायिक व्यवस्था प्रभावित होती

है? अनेक चर्चित मामलों की सुनवाई और फ़ैसलों के आलोक में इन सवालों के जवाब को देखा जा सकता है। अक्सर यह देखा गया है कि वास्तविक अदालत में मामला शुरू होने से पहले ऑनलाइन और प्रिंट मीडिया अपना फ़ैसला सुनाते हैं, और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इस तरह की कार्रवाई कुछ हद तक वास्तविक कार्यवाही को प्रभावित करती है।

दुनिया भर में ''कंगारू कोर्ट'' शब्द का प्रयोग ऐसी अदालतों के लिए किया जाता है, जहां ग़ैर-क़ानूनी या असंवैधानिक तरीक़े से किसी आरोपी को अपराधी मानकर सज़ा सुना दी जाती है। कंगारू कोर्ट किसी अपराध या दुराचार के संदिग्ध व्यक्ति का ट्रायल करता है, ठोस सबूत के बिना।'' ऐसी अदालतों में फ़ैसले किसी एक पक्ष की तरफ़ से लिए जाते हैं। ऐसी कोर्ट में सबूत नहीं बल्कि लोगों के दबाव या भावनाओं के बहाव में फ़ैसले सुनाए जाते हैं। कंगारू कोर्ट गैर-क़ानूनी और अपराध की श्रेणी में आते हैं। सन् 2011 में इन अदालतों को ग़ैर क़ानूनी घोषित किया जा चुका है, फिर भी अब तक इन पर लगाम नहीं लग पाई है। यहां सवाल यह है ऐसी 'स्वघोषित' अदालतों का विचार आया कहां से? सवाल यह भी है कि ऐसी नक़ली अदालतों को 'कंगारू कोर्ट' ही क्यों कहा गया?

कंगारू नामक स्तनधारी प्राणी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और जो उछल-उछलकर चलता है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, कंगारू कोर्ट एक नक़ली अदालत है, जिसमें क़ानून और न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की जाती है या उन्हें विकृत किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो, ग़ैर-ज़िम्मेदार, अनाधिकृत, या अनियमित स्थिति या प्रक्रियाओं की विशेषता वाली अदालत, जोकि ऐसी कार्यवाही या गतिविधियों को संदर्भित करती है जिसमें एक अनुचित, पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण तरीक़े से निर्णय लिया जाता है।

भारत में "कंगारू कोर्ट" शब्द का उपयोग सोशल इलेक्ट्रोनिक और ऑनलाइन मीडिया के बढ़ते प्रभाव से संबंधित है, जो बहुत प्रभावी ढंग से विनियमित नहीं है। लोगों को जज करने और किसी भी मुद्दे पर राय बनाने के लिए ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह इसका उपयोग उन मामलों में भी फ़ैसले सुनाने के लिए किया जा रहा है जो संवैधानिक अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं और "कंगारू कोर्ट" के ऐसे फ़ैसले आमतौर पर उस व्यक्ति की जातीयता, धर्म और लिंग पर आधारित होते हैं।

सवाल उठता है कि टीवी चैनलों और सोशल मीडिया में उत्तेजक बहसों से क्या न्यायपालिका पर दबाव पड़ता है? हाईप्रोफाइल और बड़े आपराधिक मामलों में मीडिया ट्रॉयल से क्या न्यायिक व्यवस्था प्रभावित होती है? अनेक चर्चित मामलों की सुनवाई और फ़ैसलों के आलोक में इन सवालों के जवाब को देखा जा सकता है। अक्सर यह देखा गया है कि वास्तविक अदालत में मामला शुरू होने से पहले ऑनलाइन और प्रिंट मीडिया अपना फ़ैसला सुनाते हैं, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस तरह की कार्रवाई कुछ हद तक वास्तविक कार्यवाही को प्रभावित करती है।

कंगारू कोर्ट में कोई वकील, दलील या अपील नहीं होती। अगर किसी को दोषी मान लिया गया है तो वह दोषी है। इसकी सज़ा उसे मिलेगी ही। न्याय प्रणाली से इतर हत्याएं, न्यायिक कदाचार, लिंचिंग, फ़र्ज़ी मुक़दमे, नकली अदालतें आदि कंगारू कोर्ट ही कहलाते हैं। इसमें किसी का कोई संवैधानिक दायित्व नहीं होता। हमारे देश में मानो मीडिया ने कंगारू कोर्ट का काम संभाल लिया है।

आमतौर पर कोर्ट और ख़ासकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देने और उनकी मीमांसा करने वाले मीडिया विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से अब तक भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण द्वारा की गई उक्त तल्ख़ टिप्पणी पर कोई ख़ास प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि प्रधान न्यायाधीश ने जो कहा वो हक़ीक़त है या फिर मीडिया इस टिप्पणी पर आत्म चिंतन करने की बजाए एजेंडा चलाने में ही अपना बहुआयामी हित देख रहा है?

टीवी न्यूज़ चैनलों पर आए दिन होने वाली भड़काऊ बहसें हों या फिर स्पेशल स्टोरी के नाम पर किसी व्यक्ति, संस्था या विचार को टारगेट करने की बात हो, जिस ढंग से इनकी प्रस्तुति होती है, उससे लगता है कि फ़ैसला पहले ही हो चुका है, केवल उसका औचित्य आपके गले उतारने की चैनलों के माध्यम से कोशिश की जा रही है।

इस कथित 'दोषसिद्धि' में भले ही कोई शारीरिक दंड न दिया जाता हो, लेकिन मानसिक प्रताड़ना किसी



शारीरिक दंड की तुलना में कई गुना ज़्यादा घातक होती है। कई बार तो मीडिया आरोपित की स्थिति ऐसी कर देता है कि वो कहीं का नहीं रहता। कई बार उसके पक्ष को भी नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। अलबत्ता इस 'कंगारू कोर्ट' के तथाकथित फ़ैसलों से उन तत्वों के हित ज़रूर सधते हैं, जो समाज को शांति और सुकून से नहीं रहने देना चाहते।

अक्सर देखा गया है कि किसी व्यक्ति ख़ासकर सेलेब्रिटी या किसी हाईप्रोफाइल मामले को लेकर टीवी चैनल पिल पड़ते हैं। पूरे मामले का प्रस्तुतिकरण इस अंदाज़ में किया जाता है कि मानो लक्षित व्यक्ति पहले ही दोषी है। इन कथित अदालतों में क़ानूनी धाराओं का प्रयोग भले न होता हो, लेकिन परसेप्शन और धारणा बनाने का काम पूरे ज़ोर-शोर से और सुविचारित ढंग से होता है। इससे देश और समाज का तो कोई हित नहीं सधता, हां कुछ लोगों के राजनीतिक हित ज़रूर सधते हैं।

संवेदनशील मामलों में 'कंगारू कोर्ट' की तरह मीडिया का व्यवहार देश और समाज के लिए विभाजक सिद्ध हो रहा है। टीवी पर ऐसी बहसें चलाई जा रही हैं, जिससे लोगों की भावनाएं भड़कें। चाहे क्रिया के रूप में हों या प्रतिक्रिया के रूप में हों। अब इसमें टीआरपी का खेल भी शामिल हो गया है। सीधा समीकरण है कि जो चैनल जितनी गाली-गलौज करेगा, जो जितना ज़्यादा बवाल खड़ा करने की कोशिश करेगा, उसकी टीआरपी सबसे ज़्यादा और टीआरपी ज़्यादा का मतलब ज़्यादा विज्ञापन।

न्यायिक फ़ैसले परसेप्शन पर नहीं, तथ्यों, तर्कों और सबूतों के आधार पर होते हैं। कंगारू कोर्ट में इन सबकी आवश्यकता नहीं होती। वहां हमने 'कह दिया सो कह दिया' वाला सामंती भाव होता है, जोकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के भी ख़िलाफ़ है।

मीडिया को यह अधिकार किसने दिया कि वह ख़ुद ही घटना की प्रस्तुति के साथ न्याय और दंड भी अपने हाथ में ले। जिस तरह की टैग लाइन और स्क्रोल हम टीवी चैनलों पर देखते हैं, वो किसी युद्धघोष की तरह ज़्यादा लगते हैं। यह बहुत ग़लत है और ख़तरनाक भी। मॉब लिंचिंग या किसी सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर किसी की सरेआम हत्या इसी मानसिकता के निकृष्ट और बेहद चिंताजनक उदाहरण हैं।

पक्षपातपूर्ण विचार का प्रसार हमेशा हानिकारक ही होता है। इससे न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ता है। मीडिया का काम लोगों को सही और वास्तविक स्थिति से अवगत कराना और जन-सरोकार के मुद्दों को उठाना है न कि किसी एजेंडे को आगे बढ़ाने में किसी की मदद करना।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मीडिया ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों के समक्ष व्यावसायिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन मीडिया को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे इस देश में लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। इसलिए हर हाल में उसे अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। ■■

(लेखक 'विवेकानंद कॉलेज ऑफ़ लॉ' अलीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं)

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY



گیسٹک کے درد میں

قادری قبض ٹروجن

بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے



گھٹیا کے درد میں؟

زعفرانی تیل

کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ۔ گھٹیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی مالش میں بہت ہی مفید ہے۔

پشٹک چورن



جریان، کثرت احتلام، سرعت انزال، ضعف باہ اور جملہ امراض مردانہ میں بہت مفید ہے

شوگر کی کامیاب دوا

ذیابطیش سی



مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی اور ذیابطیش سے ہونے والی کمزوری میں بے حد مفید ہے

Qadri Dawakhana™

An ISO 9001:2008 Certified Company

B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24

(O) S-152, S. A. Farooquie Road. (Akra Road) Kolkata- 700 018

Ph. No. 2469-3173-2489-3539

www.qadridawakhana.com • E-mail : qadridawakhana80@yahoo.co.in

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विशेष



शिक्षा से वंचित समाज

विशेष

नईम अलहिन्दी

“कहो, क्या वे लोग जो जानते हैं और वे लोग जो नहीं जानते दोनों समान होंगे? शिक्षा तो बुद्धि और समझ वाले ही ग्रहण करते हैं।”

(क़ुरआन, 39:9)

“और कहो, मेरे रब, मुझे ज्ञान में अभिवृद्धि प्रदान कर।”

(क़ुरआन, 20:114)

ज्ञान के सागर की गहराई अथाह है और इसमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता। जब हम बात ज्ञान की करते हैं तो शिक्षा ही इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। मानव समाज के निर्माण और विकास के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण, ज्ञान और जागरूकता व चेतना का बुनियादी महत्व है।

विभिन्न प्रकार के अनुभव व्यक्ति को सामाजिक जीवन में सफल बनाने में सहायक होते हैं। शिक्षा द्वारा व्यक्ति परंपरागत अनुभवों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उनका उचित उपयोग करके अपने जीवन के हर क्षेत्र को लाभान्वित करता है। ज्ञान के लिए शिक्षा और शिक्षा के लिए साक्षरता बेहद महत्वपूर्ण है। मनुष्य के विकास का वातावरण बनाने के लिए साक्षरता के महत्व को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितम्बर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को साक्षरता का महत्व याद दिलाना है। हैरानी वाली बात यह है कि आज भी लोगों की एक बड़ी संख्या बुनियादी साक्षरता को लेकर बेहद कम जागरूक है।

किसी भी देश की प्रगति वहां के नागरिकों के आचरण पर निर्भर करती है। नागरिकों में नागरिकता की भावना होगी तो देश प्रगति की सीढ़ियों पर

चढ़ता चला जाएगा। शिक्षा व्यक्ति में सामाजिकता तथा नागरिकता के गुणों का विकास करने में सहायक होती है। शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रयोग करना सिखाती है। मानव एक सामाजिक प्राणी है अतः यह आवश्यक है कि उसे समाज के अनुकूल बनाया जाए। शिक्षा लोगों में सामाजिकता की भावना जागृत करती है और उसे समाज के अनुकूल बनाती है। इस्लाम ने शिक्षा और प्रशिक्षण को शुरू से ही महत्व दिया। शिक्षा के संबंध में शरीयत ने मर्दों व औरतों दोनों को समान अधिकार और कर्तव्य दिये हैं। दोनों कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक समान रूप से ज़िम्मेदार हैं।

इस्लाम ने जाति, धर्म, लिंग एवं राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना मानव कुटुंब के सभी सदस्यों के लिए ज्ञान के द्वार खोल दिए। यह इस्लाम की मानव सभ्यता को सबसे बड़ी देन है। इसका प्रमाण पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) का जीवन है। आपने लोगों को शिक्षा दी कि ''पढ़ना मर्द एवं औरत दोनों का ज़रूरी अर्थात् फ़र्ज़ है।''

बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा सभी का पढ़ना ज़रूरी है और ज़रूरत हो तो उसके लिए चीन भी जाना चाहिए। इस कथन का भाव यह है कि, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, दूर से दूर और अपरिचित जगह भी लोगों को जाना चाहिए, तकलीफ़ें उठानी चाहिए।

इस्लाम में इल्म यानी ज्ञान हासिल करने को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने के लिए प्रेरित भी किया गया है। इस्लाम में इल्म की हैसियत और महत्त्व का अंदाज़ा इसी बात से हो जाता है कि लगभग चौदह सौ साल पहले क़ुरआन का जब अवतरण हुआ, तो उसमें पहली बार जो सूरा (अध्याय) अवतरित हुई, उस सूरा का पहला शब्द 'इक़रा' था। इक़रा का मतलब पढ़ने से है।

क़ुरआन के अवतरण की शुरुआत ही पढ़ने के आह्वान के साथ हुई। ज्ञान की अहमियत को दर्शाते हुए ही क़ुरआन कहता है-''कहो, क्या वे लोग जो जानते हैं और वे लोग जो नहीं जानते दोनों समान होंगे? शिक्षा तो बुद्धि और समझ वाले ही ग्रहण करते हैं।''

(क़ुरआन, 39:9)

''और कहो, मेरे रब, मुझे ज्ञान में अभिवृद्धि प्रदान कर।''

(क़ुरआन, 20:114)

प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान हमें शिक्षा के द्वारा ही होता है जिसमें उत्साहित होकर हम उसकी सुरक्षा तथा विकास का प्रयास करते हैं। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की बहुत-सी कुवृत्तियों को दूर किया जा सकता है। जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, क्षेत्रीयता तथा भाषा संबंधी भेदों को बढ़ावा निरक्षरता के कारण ही मिलता है। एक निरक्षर व्यक्ति इन दुर्गुणों का शिकार शीघ्रता से हो जाता है। शिक्षा का व्यापक प्रचार उपर्युक्त दुर्गुणों को दूर करने में सहायक होता है।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने यह कहा कि मां की गोद से लेकर क़ब्र में जाने तक इल्म हासिल करते रहो। उन्होंने यह भी कहा कि जो इल्म तलाशने के लिए एक मार्ग का अनुसरण करता है, तो ईश्वर उसके लिए स्वर्ग का रास्ता आसान कर देता है। आपने फ़रमाया- तुम जब शिक्षा के रास्ते पर चलते हो तो जैसे अल्लाह के रास्ते पर चलते हो। आपका यह भी क़ौल (कथन) है कि 'एक आलिम (विद्वान) के क़लम की रौशनाई एक शहीद के ख़ून से ज़्यादा क़ीमती है।'

अफ़सोस की बात है कि शिक्षा पर इतना ज़ोर होने के बावजूद आज हम लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। हम लोग पैग़म्बर और

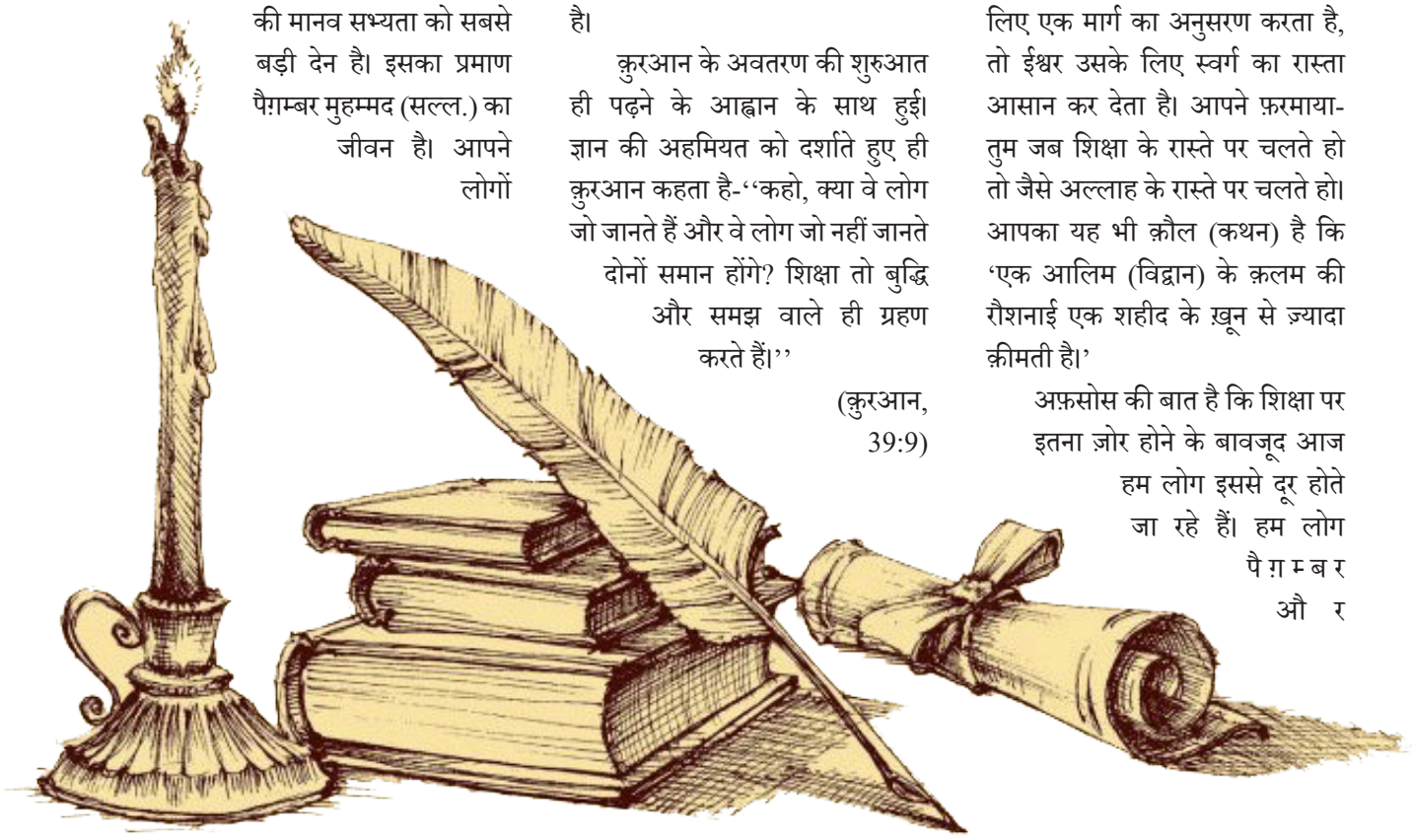

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने यह कहा कि मां की गोद से लेकर क़ब्र में जाने तक इल्म हासिल करते रहो। उन्होंने यह भी कहा कि जो इल्म तलाशने के लिए एक मार्ग का अनुसरण करता है, तो ईश्वर उसके लिए स्वर्ग का रास्ता आसान कर देता है।

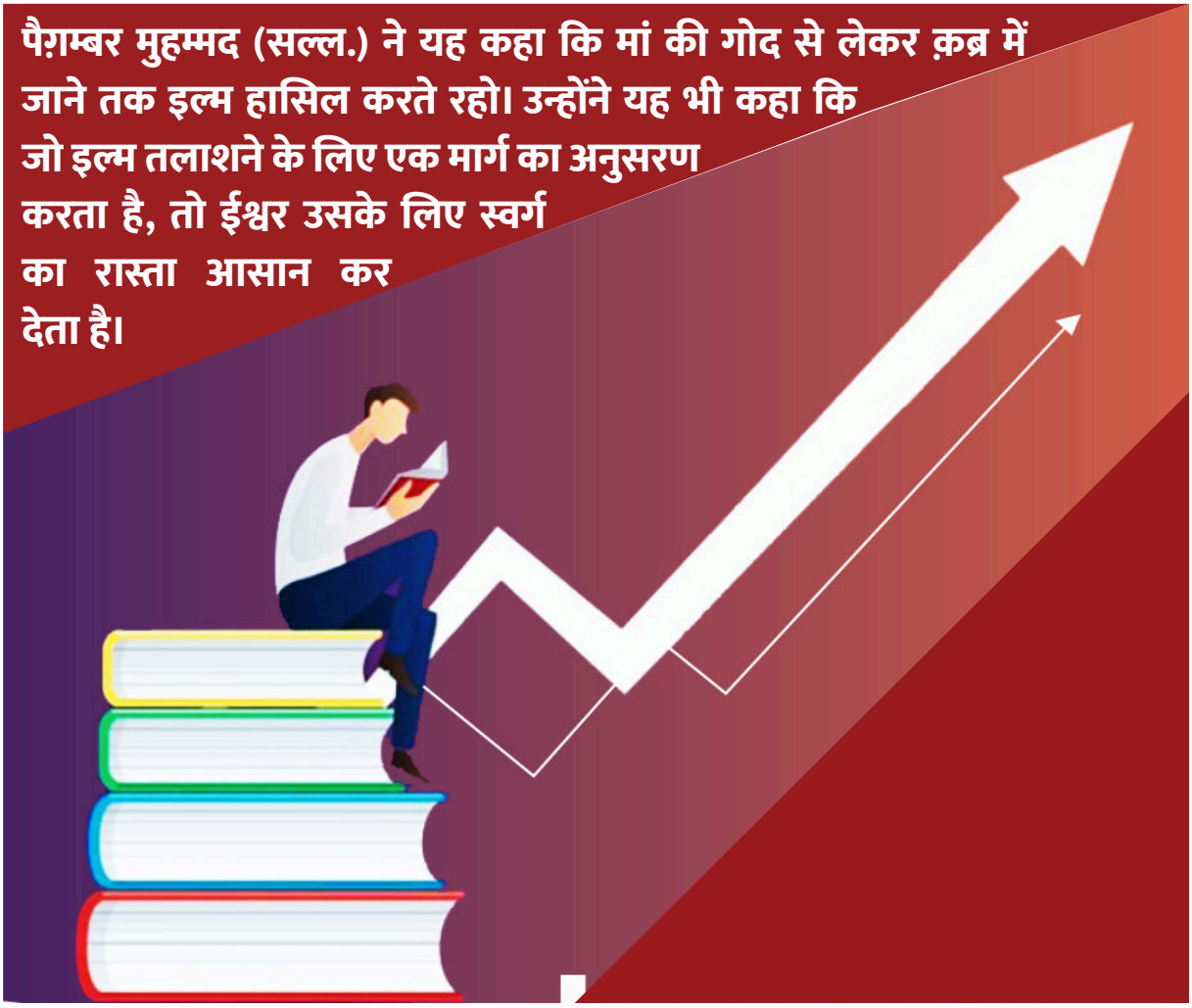

उनकी शिक्षाओं से दूर होते जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों में शिक्षा का स्तर नीचे है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अन्य देशों के मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के दूसरे लोगों से पीछे हैं। आज शिक्षा से दूर होने के कारण इस इक्कीसवीं सदी में मुसलमान दुनिया के सबसे पिछड़े लोगों में से हैं।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में कहती है कि भारतीय मुसलमानों में ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वालों की संख्या महज़ चार प्रतिशत है, जो दलितों से भी कम है। दूसरे शब्दों में आज हिंदुस्तानी मुसलमान आधुनिक शिक्षा के मैदान में दलितों से भी पिछड़े हैं। यह हाल है उस क़ौम का, जिसके पैग़म्बर को सबसे पहला ईश्वरीय संदेश 'पढ़ने' का मिला। हद तो यह है कि ऐसे पढ़े-लिखे क़ैदी जो जंगों में गिरफ़्तार होते थे, अगर वो पांच मुसलमानों को शिक्षा दे देते थे तो पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) उन्हें आज़ाद कर देते थे।

सवाल है कि आख़िर हम कब तक लापरवाही का शिकार रहेंगे? हम कब तक गहरी नींद में सोते रहेंगे? जो क़ौम अपने दौर की शिक्षा से बेख़बर हो जाती है, वो क़ौम ग़ुलामी का शिकार हो जाती है। आज सारी दुनिया में हमारी बदहाली का सबसे बड़ा कारण यही है कि आज हम आधुनिक दौर की शिक्षा से बहुत दूर हैं। बहरहाल, अब आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के लिए जी तोड़ कोशिशें की जाएं, क्योंकि इन कोशिशों के बिना बदहाली की खाई से निकलना पाना संभव नहीं। किसी भी क़ौम की हालत में कोई बदलाव तब तक संभव नहीं है जब तक कि उस क़ौम के लोग ख़ुद अपनी हालत को नहीं बदल देते। क़ुरआन भी यही कहता है-

"किसी क़ौम के लोगों को जो कुछ प्राप्त होता है अल्लाह उसे बदलता नहीं, जब तक कि वे स्वयं अपने-आपको न बदल डालें।" (क़ुरआन,13:11) ■■





महामारी का रूप लेते

ऑनलाइन गेम्स

मंथन



ज़ईमुद्दीन अहमद

ऑनलाइन खेलों से प्रभावित होने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन खेलों के आदी लोग न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं बल्कि अपने माता-पिता के पैसे और अपने स्वास्थ्य को भी बर्बाद करते हैं। इन खेलों में अपना पैसा गंवाने वाले क़र्ज़ में डूब रहे हैं, जिसके नतीजे में वे आर्थिक रूप से दिवालिया भी हो रहे हैं और जब उन्हें इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वे आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे देश में कई राज्यों ने ऑनलाइन खेलों पर पाबंदी लगाई है, लेकिन पाबंदी के बावजूद युवा पीढ़ी इससे बाज़ नहीं आ रही है। इसका कारण यह है कि हमारे देश की अदालतों ने इस पर पाबंदी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करने के समान माना है। इसलिए खेल के बजाय पाबंदी पर ही रोक लगा दी गई है।

युवा पीढ़ी को उनके माता-पिता ऑनलाइन खेलों से रोक नहीं पा रहे हैं, इस मामले में वे बेबस और लाचार नज़र आते हैं। आख़िर हमारे देश में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? यह एक अहम सवाल है। हमारे देश में ऑनलाइन खेलों पर ख़र्च होने वाली रक़म कोई मामूली रक़म नहीं है। IFACCI (इंडियन फेडरेशन ऑफ़ चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, हमारे देश में ऑनलाइन खेलों पर लगभग 6500 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए हैं। ऑनलाइन गेम इस समय एक उद्योग का रूप ले चुका है। जानकारों के मुताबिक़ हमारे देश में ऑनलाइन खेलों पर ख़र्च होने वाली रक़म 61 हज़ार करोड़ रुपये है, जो देश के रक्षा क्षेत्र के लिए युद्धक विमान बनाने वाली कंपनी ''हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड'' के

इन्सान इन खेलों से न सिर्फ़ विनाश ख़रीद रहा है, बल्कि नैतिक पतन का भी शिकार होता जा रहा है। इस रोग से पीड़ित होने वाला व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो जाता है। उसकी मानसिक शांति नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके चरित्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। उसके लिए सामाजिक संबंध अब महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। मां-बाप के साथ उसका बुरा व्यवहार और अभद्रता बढ़ती जाती है। वह जुनूनी हो जाता है, उसकी हालत और एक नशेड़ी की हालत में कोई अंतर नहीं रहता। यहां तक कि वह किसी की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाता।

बाज़ार मूल्य के बराबर है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी ऑनलाइन खेलों की दीवानी है।

बड़ी संख्या में युवा इसमें लिप्त होते जा रहे हैं। सरकार लोगों की मांग पर पाबंदी तो लगा रही है, लेकिन अदालतें इस पाबंदी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ मान रही हैं। उनके विचार में यदि ऑनलाइन खेलों पर पाबंदी लगाई जाती है तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीधा हमला होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा है?

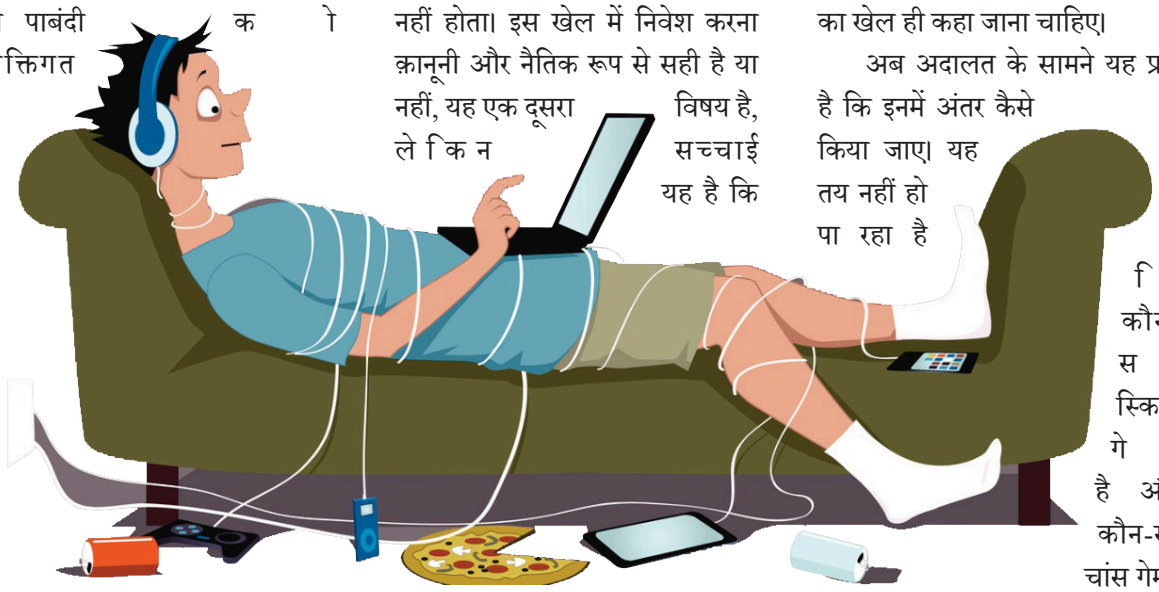

मूल रूप से खेल दो प्रकार के होते हैं, एक वह जिसमें इन्सान अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर जीतता है जिसे, स्किल बेस्ड गेम्ज़ कहते हैं। दूसरे वे खेल जिनका फ़ैसला केवल भाग्य के आधार पर तय किया जाता है जिसे, चांस बेस्ड गेम्ज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर शतरंज का खेल है, जिसे खिलाड़ी अपने कौशल, क्षमता और योग्यता के आधार पर ही जीत सकता है और भाग्य का इसमें दख़ल नहीं होता। इस खेल में निवेश करना क़ानूनी और नैतिक रूप से सही है या नहीं, यह एक दूसरा विषय है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें जीत सिर्फ़ योग्यता के आधार पर ही होती है, वहीं दूसरी ओर सांप-सीढ़ी जैसे खेल हैं, ऐसे खेलों में जीत का फ़ैसला केवल भाग्य पर होता है। इसमें योग्यता और क्षमता कुछ काम नहीं आती, बल्कि यह देखा जाता है कि आपका पासा किस तरफ़ गिरता है या आपकी कौड़ियां किस करवट बैठती हैं आदि।

खेल विशेषज्ञों के अनुसार खेलों का एक तीसरा प्रकार भी पाया जाता है, जिनमें योग्यता और भाग्य दोनों का होना ज़रूरी होता है, जैसे लूडो या ताश आदि, लेकिन इनमें भी भाग्य का दख़ल ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको यह मालूम ही नहीं होता कि अब कौन-सा पत्ता आने वाला है, इसलिए इसे भाग्य का खेल ही कहा जाना चाहिए।

अब अदालत के सामने यह प्रश्न है कि इनमें अंतर कैसे किया जाए। यह तय नहीं हो पा रहा है कि कौन-सा स्किल गेम है और कौन-सा चांस गेम?

ऑनलाइन खेलों का एक और पहलू यह भी है कि ज़रूरी नहीं कि आपका प्रतिद्वंद्वी कोई इन्सान ही हो। वह कोई रोबोट भी हो सकता है, जिससे आप किसी भी तरह नहीं जीत सकते, बल्कि क्या मालूम कि वह कोई सुपर कंप्यूटर हो जिससे जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस समस्या को कैसे हल किया जाए? इस मामले में अदालत की स्थिति स्पष्ट है कि जिन खेलों में भाग्य

या संयोग शामिल होता है वह जुआ कहलाता है और जुआ हमारे देश में निषिद्ध है, जबकि योग्यता और क्षमता दिखाने वाले खेलों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन होगा। आदमी खेल में अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के आधार पर पैसा कमा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भाग्य के खेलों में योग्यता की कोई भूमिका नहीं होती। इसलिए इससे पैसे नहीं कमाये जा सकते। अदालतें अब इस बात पर विचार कर रही हैं कि केवल योग्यता से खेले जाने वाले खेल ही क़ानूनी रूप से वैध हैं और भाग्य या चांस वाले खेल निषिद्ध हैं।

उल्लेखनीय है कि हमारे देश में ऑनलाइन खेलों की ऐसी कोई सरकारी निगरानी नहीं है जैसे कि दवा उद्योग का नियमन होता है। जहां बहुत सारे नियम एवं क़ायदे तय हैं। इसी प्रकार तंबाकू उद्योगों और खाद्य उद्योगों के लिए भी नियम-क़ीयदे तय किए गए हैं, यहां तक कि शेयर बाज़ार पर भी नज़र रखी जाती है, क्योंकि वहां भी नियम-क़ानून तय हैं। इन सभी की निगरानी के लिए अलग-अलग संस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऑनलाइन खेलों की निगरानी के लिए कोई संस्था मौजूद नहीं है। लाखों युवाओं के जीवन को बर्बाद करने वाले ऑनलाइन खेलों पर कोई नियम-क़ायदे तय नहीं है। लोग करोड़ों रुपये इन विनाशकारी खेलों पर ख़र्च कर रहे हैं। देश का भविष्य इस विनाशकारी खेल का शिकार होता जा रहा है। देश की युवा पीढ़ी अपने माता-पिता की गाढ़ी कमाई को व्यर्थ ऑनलाइन खेलों पर ख़र्च कर रही है, इसे कैसे बचाया जाए यह सरकार के एजेंडे में है ही नहीं।

यह तो रहे ऑनलाइन खेलों के आर्थिक एवं भौतिक नुक़सान, इसके नैतिक और आध्यात्मिक नुक़सान इससे भी अधिक गंभीर हैं। इन्सान इन खेलों से न सिर्फ़ विनाश ख़रीद रहा है, बल्कि नैतिक पतन का भी शिकार होता जा रहा है। इस रोग से पीड़ित होने वाला व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो जाता है। उसकी मानसिक शांति नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके चरित्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। उसके लिए सामाजिक संबंध अब महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। मां-बाप के साथ उसका बुरा व्यवहार और अभद्रता बढ़ती जाती है। वह जुनूनी हो जाता है, उसकी हालत और एक नशेड़ी की हालत में कोई अंतर नहीं रहता। यहां तक कि वह किसी की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाता।

हमें अपने घरों में अपनी नई पीढ़ी पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें ऑनलाइन खेलों के विनाश से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ ऑनलाइन खेल युवाओं में हिंसा को बढ़ावा देते हैं, उन्हें अवैध और अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमें उन्हें यह स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता है कि इससे न केवल आर्थिक एवं भौतिक क्षति होती है बल्कि धर्म और नैतिकता भी नष्ट होती है। युवा पीढ़ी को इस विनाश से बचाने के लिए सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। सोशल मीडिया के साथ-साथ अन्य माध्यमों से भी इसके ख़िलाफ़ जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। ■■





मंकीपॉक्स वायरस : लक्षण और बचाव

सेहत



संपादन प्रभाग

देश में बढ़ते मंकीपॉक्स के केस को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई तरह के अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकीपॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित करके स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। डॉक्टरों के मुताबिक़ मंकीपॉक्स वायरस से संक्रमित व्यक्ति को तेज बुख़ार, त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं। ये चकत्ते चेहरे से शुरू होकर हाथ, पैर, हथेलियों और तलवों तक जाते हैं। इसके अलावा इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द या थकावट, गले में ख़राश और खांसी हो सकती है। यह बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से भी फैल रही है। मंकीपॉक्स वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के तीन सप्ताह के भीतर अगर इसके लक्षण ज़ाहिर होने शुरू हो जांए तो सजग हो जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने सलाह लेनी चाहिए। मंकीपॉक्स से संक्रमित व्यक्ति को और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। जैसे आंख में दर्द या धुंधला दिखना, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, पेशाब में कमी, बेहोशी आना, दौरे पड़ना आदि। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अधिक जोखिम वाले व्यक्तियों पर मंकी पॉक्स

के गम्भीर प्रभाव पड़ने की अधिक संभावना है। जिनकी इम्युनिटी कम हो, कोमोर्बिडिटी से ग्रसित लोग अधिक जोखिम वाले है। यह बीमारी इंसान सं इंसान में फैलती है।

क्या है मंकीपॉक्स?

मंकीपॉक्स देखने में चेचक की तरह का संक्रमण लगता है। यह पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे गये बंदरों में पाया गया था। पहली बार यह संक्रमण 1970 में इंसानों में दर्ज किया गया। यह रोग मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ़्रीक़ा के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में होता है और कभी-कभी अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाता है। इस बार अफ़्रीक़ा के बाहर, अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, ब्रिटेन में मंकीपॉक्स के मामले सामने आए हैं और इन मामलों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा व बीमारी से ग्रस्त बंदरों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से जोड़ा गया है। इसके बारे में डॉक्टरों का कहना है कि यह एक दुर्लभ जूनोटिक बीमारी है जो मंकीपॉक्स वायरस के संक्रमण के कारण होती है। मंकीपॉक्स वायरस पॉक्सविरिडे परिवार से संबंधित है, जिसमें चेचक और चेचक की बीमारी पैदा करने वाले वायरस भी शामिल हैं।

मंकीपॉक्स के लक्षण

मंकीपॉक्स के शुरुआती लक्षणों में संक्रमित व्यक्ति को बुख़ार, दाने और छोटे-छोटे गांठ हो जाते हैं। इसका कोई सटीक इलाज न होने के कारण इसका इलाज करने में कई तरह की समस्या आती है। बीमारी के लक्षण आमतौर पर दो से चार सप्ताह तक दिखते हैं, जो अपने आप दूर होते चले जाते हैं। कई बार यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। अभी तक मंकीपॉक्स से संक्रमित मरीज़ों की मृत्यु दर का अनुपात लगभग 3-6 फ़ीसद पाया गया है।



इस बार अफ़्रीक़ा के बाहर, अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, ब्रिटेन में मंकीपॉक्स के मामले सामने आए हैं और इन मामलों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा व बीमारी से ग्रस्त बंदरों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से जोड़ा गया है। इसके बारे में डॉक्टरों का कहना है कि यह एक दुर्लभ जूनोटिक बीमारी है जो मंकीपॉक्स वायरस के संक्रमण के कारण होती है।

कैसे फैलता है संक्रमण?

मंकीपॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति संपर्क में आने से या वायरस से दूषित कोई सामग्री के छूने आदि से फैलता है। इसका वायरस चूहों, बंदरों, गिलहरियों आदि से फैलता है। वायरस किसी व्यक्ति के शरीर पर घाव के स्थान, शरीर के पसीने, सांस के माध्यम, दूषित भोज्य पदार्थों, संक्रमित तौलिया, बिस्तर आदि के जरिये शरीर में प्रवेश करता है। हालांकि यह चेचक के वायरस की तुलना में कम संक्रामक और गंभीर है। डॉक्टरों का कहना है कि कुछ संक्रमण यौन संपर्क के माध्यम से भी हो रहे हैं।

संक्रमण से बचाव

देश में कई राज्यों में मंकीपॉक्स से संक्रमित मरीज़ मिले हैं। उनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, इसलिए इस बीमारी को लेकर अभी से होशियार रहने और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। घर में साफ़-सफ़ाई रखें। सफ़ाई को आधा ईमान बताया गया और सफ़ाई रखने पर सवाब मिलता है। जब भी घर से बाहर जाएं, इसका ख़याल रखे कि मंकीपॉक्स के संक्रमित या संक्रमण के लक्षण वाले लोगों से दूर रहें। बाहर से आने के बाद हाथ, पैर और चेहरा अच्छी तरह धो लें। ■■

काग़ज़ की प्लेट और कप के व्यापार में अच्छे मौक़े



करियर

संपादन प्रभाग

एक जुलाई से पूरे देश में 'एकल उपयोग' की प्लास्टिक से बनी सभी वस्तुओं के इस्तेमाल और उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में उन व्यावसायों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है जो अब तक प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास और चम्मचों का उपयोग करते थे। लंबे समय से शादियों, पार्टियों आदि में भी प्लास्टिक के इन बर्तनों का इस्तेमाल होता आया है। ये लोग अब इसके विकल्प की तलाश में हैं और काग़ज़ से बने विभिन्न बर्तन इसका सबसे बेहतर व सस्ता विकल्प है।

भारी मांग और आपूर्ति की कमी के कारण, अपना ख़ुद का पेपर प्लेट, कप, या गिलास बनाने का व्यवसाय शुरू करने का यह सबसे अच्छा समय हो सकता है। एक बार जब आप इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आपके पास सही निवेश और व्यावसायिक योजनाएं होनी चाहिए।

इस व्यापार का अधिकतर काम मशीनों पर निर्भर करता है। प्लेट, कप, गिलास, चम्मच आदि बनाने की मशीन भारत के किसी भी राज्य में मिल जाएगी।

शुरुआत में छोटी मशीन का ही उपयोग करना चाहिए। व्यापार का स्तर बढ़ाने के बाद मशीन अपने काम के अनुसार बड़ी ली जा सकती है। हाथ से चलने वाली छोटी मशीन की क़ीमत 25 हज़ार रुपये तक होती है।

इसके बाद कार्यक्षमता के आधार पर मशीनों की क़ीमत बढ़ती जाती है। काग़ज़ की प्लेट बनाने का कार्य अधिक जटिल नहीं है।

एक विशेष डाई की मदद से विभिन्न आकृतियों, आकारों और डिजाइनों की प्लेट बना सकते हैं। उचित आकार के लिए काग़ज़ को पहले ही काट दिया जाता है। कई बार बाज़ार में काग़ज़ कटे हुए ही मिल जाते हैं। पैकेजिंग के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक पैकेट में कितनी प्लेट देने हैं।

इसके लिए प्लेट के पैकेट बना सकते हैं। इससे आपको उसकी क़ीमत का निर्धारण करने में आसानी होगी। इसके बाद आप काग़ज़ से बने अपने सामान की मार्केटिंग के लिए तैयार रहें। इसके लिए आपके पास दो विकल्प होंगे। एक तो आप सीधे ग्राहकों को अपना माल बेचें और दूसरा माल को बेचने के लिए किसी का सहारा लें।

भारत में, बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण पेपर प्लेट को बड़ी प्रतिष्ठा मिली है। यदि आप पेपर प्लेट बनाने के व्यवसाय को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके व्यवसाय को शुरू करने के लिए बिल्कुल सही समय है।यह उद्योग भारत में तेजी से बढ़ रहा है और पेपर प्लेट के निर्माण में लाभ मार्जिन भी बहुत अधिक होता है।

पेपर प्लेट का उपयोग

पेपर प्लेट मूल रूप से दो श्रेणियों में उपयोग किये जाते हैं। पहली श्रेणी घरेलू उपयोग से संबंधित है और दूसरी श्रेणी व्यावसायिक उपयोग से संबंधित है।

घरेलू उद्देश्य, विवाह, अवसर, कार्य, पिकनिक और यात्रा के उद्देश्य के लिए पहली श्रेणी के उपयोग में शामिल है। हम में से अधिकांश शादी में पेपर प्लेटों का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह सामान की सफ़ाई या हानि के बारे में चिंता किए बिना खाना खिलने का सबसे अच्छा तरीक़ा है। यह बहुत सुविधाजनक, हल्का और किफ़ायती होता है।

दूसरी ओर हमारे पास वाणिज्यिक उपयोग भी है। वाणिज्यिक उपयोग सड़क की दुकानों से जुड़ा हुआ है जो भोजनालयों, सड़क में रेडी लगाने वाले और उनकी पसंद से सम्बंधित है। यह हिस्सा सबसे अधिक निर्मित पेपर प्लेटों का उपभोग करता है क्योंकि मांग



नियमित और विशाल होती जा रही है।

कैसे करें शुरुआत?

यदि आप पेपर प्लेट्स के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र खोलने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक व्यापक और अच्छी तरह से व्यापार योजना तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बाजार पहले से ही बड़ा हो चुका है। आपकी योजना केवल अपने मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसकी आपूर्ति और रिटर्न की भी होनी चाहिए।

बुनियादी आवश्यकताएं

एक पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का व्यवसाय खोलना बहुत जटिल नहीं है। बस आपको कुछ बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखना है :

भूमि : आपको ऐसी भूमि की आवश्यकता है जहां आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर सकें। ज़मीन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जिसमें बुनियादी सुविधाएं हों ताकि आपको ज़्यादा परेशानी न हो। भूमि का आकार बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि 100 वर्ग फुट ज़मीन भी काम करेगी।

जल : पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय में पानी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसके लिए लगातार पानी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसे एक नुक़सान के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहां पानी की आवश्यकता काफ़ी बड़ी है।

बिजली : बिजली भी आपको पानी जैसे ही आवश्यक है। पानी पंप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आपको अपनी पेपर मशीन चलाने के लिए उचित बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता है। बिजली की आपूर्ति आवश्यक मानक वोल्टेज के साथ स्थिर और उचित होना चाहिए ताकि आपकी मशीन अच्छी तरह से काम करे।

कच्चा माल : यह बेहतर होगा कि आप सीधे कच्चे माल को पेपर या पेपर

रोल के रूप में प्राप्त करें। क्योंकि पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत से संसाधन, धन और समय की आवश्यकता होती है। आप स्थानीय स्क्रैप दुकानों से बहुत सारा पेपर प्राप्त कर सकते हैं। जो आपको उन काग़ज़ात को प्रति किलो बहुत कम दर पर बेच सकता है। एक क्विंटल या 1000 किलोग्राम पेपर आसानी से 5000 से 7000 रुपये तक लिया जा सकता है।

मैन्युफैक्चरिंग मशीन : एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन की क़ीमत अलग-अलग हो सकती हैं। मशीन की क़ीमत कम या ज़्यादा होने से प्रति घंटे पेपर प्लेटों की जनरेशन की संख्या में अंतर आ सकता है। कुछ मशीन प्रति घंटे 1000-2000 टुकड़े उत्पन्न करती हैं जबकि कुछ प्रति घंटे 4000-7000 टुकड़े करतीं हैं। इसके अलावा डिज़ाइन, गुणवत्ता के आधार पर भी मशीनों के प्रकार अलग-अलग होते हैं। एक सामान्य मशीन आपको 75,000 रुपये से 500,000 रुपये ख़र्च करने पर मिल सकती है।

श्रम : यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में भी शामिल हैं तो आपको कम से कम दो और लोगों की आवश्यकता हो सकती है। यह बहुत महंगा नहीं होता है, लेकिन आपको प्रारंभिक दिनों में उन्हें उचित प्रशिक्षण देना होगा। इसके अलावा व्यापार से संबंधित पेपर कार्य होगा जिसमें पंजीकरण, टैक्सेशन, आवश्यक अनुमतियां इत्यादि शामिल हैं।

कितना निवेश आवश्यक है?

हालांकि ज़्यादातर लोग इसके लिए अलग ये ज़मीन ख़रीदने की जगह अपने किसी प्लाट या घर में अपना संयंत्र खोलते हैं, क्योंकि यह काफ़ी महंगी पड़ती है। आप इसे अपने घर में केवल एक मशीन के साथ भी खोल सकते हैं। उस जगह को काम के लिए बनाने में कम से कम कुछ लाख रुपये की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपका मूल निवेश मशीन में होगा। इसकी लागत 75,000 रुपये से 500,000 रुपये होगी। कच्चे माल, बिजली की आपूर्ति, पानी, टैक्सेशन, श्रम में आपको न्यूनतम 10 लाख रुपये खर्च होंगे। समय और परिस्थितियों के अनुसार यह राशि बढ़ भी सकती है।

> **“प्लेट, कप, गिलास, चम्मच आदि बनाने की मशीन भारत के किसी भी राज्य में मिल जाएगी। शुरुआत में छोटी मशीन का ही उपयोग करना चाहिए। व्यापार का स्तर बढ़ाने के बाद मशीन अपने काम के अनुसार बड़ी ली जा सकती है। हाथ से चलने वाली छोटी मशीन की क़ीमत 25 हज़ार रुपये तक होती है।”**

मुनाफ़ा कितना होगा?

आपका लाभ आपके निवेश पर निर्भर करता है। यदि आपके पास अच्छा निवेश है तो पहली बार आपका रिटर्न अच्छा नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि आपका निवेश कम है तो आप वापसी के साथ सहज महसूस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, इस व्यवसाय में रिटर्निंग बाज़ार पर भी निर्भर करती है। आपका एक उचित नेटवर्क होना चाहिए जहां आप अपने उत्पाद की आपूर्ति कर सकें।

यह नेटवर्क फैला हुआ होना चाहिए ताकि आप अपने उत्पाद के लिए अलग-अलग कीमतें प्राप्त कर सकें। आपका लक्ष्य सीधे उपयोगकर्ता को उत्पाद की आपूर्ति करना होना चाहिए। शहरों में दुकानदार गुणवत्ता वाले पेपर प्लेटों की मांग करते हैं जहां लागत अधिक है। आप अपने उत्पाद को उनके लिए बेच सकते हैं ताकि आपको सर्वोत्तम रिटर्न मिल सके।

परिवहन की लागत भी होगी, लेकिन यदि आपको अच्छी क़ीमत मिलती है तो इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इस व्यवसाय का रिटर्न संतोषजनक है क्योंकि काग़ज़ की कच्ची सामग्री काफ़ी सस्ती होती है और यह काग़ज़ का एक किलो बहुत सी अच्छी प्लेटों का निर्माण करता है।

इन प्लेटों के प्रति दर्जन या सौ टुकड़े की अच्छी कीमत मिलती है। यदि आप एक दिन में 10, 000 से 50, 000 प्लेटें बेचने में सक्षम हैं तो आपका परिणाम बहुत संतोषजनक होगा या अन्यथा आपको अपना व्यवसाय और मज़बूत बनाना होगा और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू मैन्युफैक्चरिंग की लागत है जिसे सर्वोत्तम रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा हो गया है तो आप आसानी से अपने रिटर्न को अधिकतम कर सकते हैं। इसके लिए आपको का बाज़ार विश्लेषण करना आवश्यक है। ■■

सराहनीय पहल



कर्नाटक में अनेक मुस्लिम संगठनों ने सराहनीय पहल करते हुए दर्जन भर से ज़्यादा निजी कॉलेज खोलने के आवेदन दिये हैं। इन संगठनों का कहना है कि वे ऐसा कालेज खोलेंगे, जिसमें छात्राओं को पूरी आजादी होगी। जो छात्राएं हिजाब में कालेज आना चाहेंगी, उनको रोका नहीं जाएगा। ग़ौरतलब है कि भाजपा शासित कर्नाटक के अनेक स्कूलों में छात्राओं को हिजाब पहन कर स्कूल या कालेज आने की आजादी नहीं है। सरकार के मत को सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी हरी झंडी मिली हुई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में एक धर्म विशेष के चिन्हों अथवा प्रतीकों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि अन्य समुदायों के अधिकारों का हनन है। इससे वहां के मुसलमानों में खासा रोष है और वे ऐसे शिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं, जिसमें छात्राओं को पूरी आजादी हो। ऐसी स्थिति में मुसलमानों के पास सिर्फ़ एक ही विकल्प बचा है कि वे ज़्यादा से ज्यादा निजी कॉलेज खोलें, जहां बच्चे पूरी आज़ादी के साथ शिक्षा हासिल कर सकें। हालांकि राज्य सरकार की विचारधारा को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि वह इसके लिए अनुमति देगी।

पूंजीपतियों पर कितना क़र्ज़ ?

देश के सबसे अमीर कारोबारियों की लिस्ट में शामिल मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भारी विदेशी क़र्ज़ के तले दबे हुए हैं। बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने गत दिनों भारतीय कंपनियों की ओर से लिए गए विदेशी क़र्ज़ को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसके मुताबिक़ भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा दिये गये आंकड़ों के आधार पर कहा गया कि भारतीय कंपनियों की ओर से लिए गए कुल विदेशी क़र्ज़ में अंबानी और अडानी की कंपनियों की हिस्सेदारी हर 5 डॉलर में से 1 डॉलर की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय कंपनियों ने विदेशी क़र्ज़दाताओं से 38.2 बिलियन डॉलर यानी 2.9 लाख करोड़ रुपए का क़र्ज़ लिया है। इसमें से मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और गौतम अडानी के नेतृत्व वाली कंपनियों ने 8.25 बिलियन डॉलर यानी 63 हज़ार करोड़ का क़र्ज़ लिया। उनको यह क़र्ज़ भारतीय बैंकों से लिए गये क़र्ज़ों की तुलना में सस्ता पड़ता है। दुनिया के अमीरों में एक अडानी ग्रुप के गौतम अडानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 190 बिलियन डॉलर से अधिक है। दोनों की सभी कंपनियों के कुल बाज़ार पूंजीकरण को जोड़ दिया जाए तो यह 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।



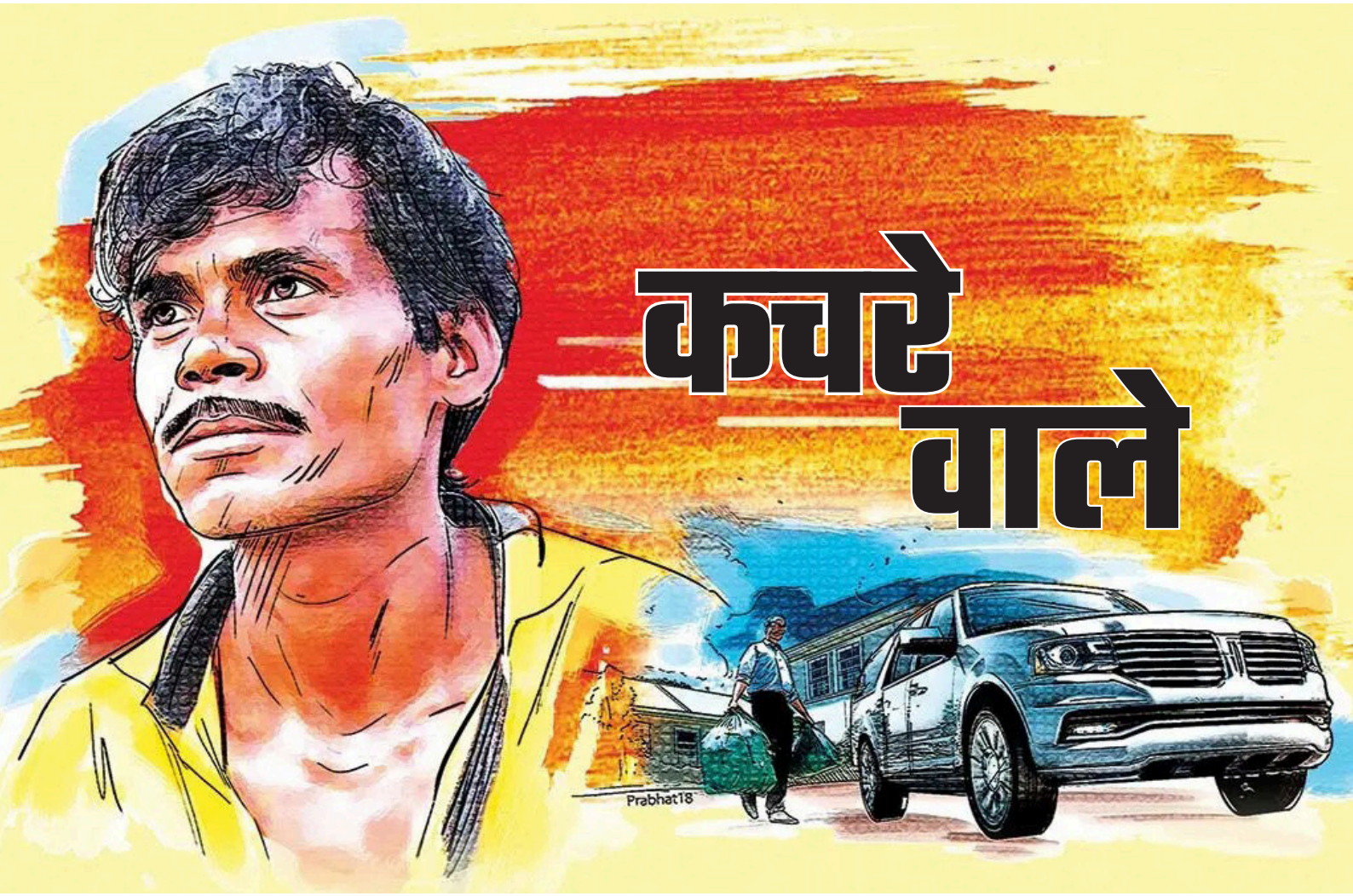

कचरे वाले

कहानी



स्वप्निल कुमार यादव

◆ मंगलवार की सुबह ऑफ़िस के लिए निकलते वक़्त पत्नी ने आवाज़ दी, ''आज जाते समय यह कचरा लेते जाइएगा, 2 दिनों से पड़े-पड़े दुर्गंध दे रहा है।'' मैंने नाश्ता करते हुए घड़ी पर नज़र डाली, 8 बजने में 10 मिनट बाक़ी थे। ''ठीक है, मैं देखता हूं,'' कहकर मैं नाश्ता करने लगा। साढ़े 8 बज चुके थे। मैं तैयार होकर बालकनी में खड़ा मल्लप्पा की राह देख रहा था। कल बुधवार है यानी सूखे कचरे का दिन। अगर आज यह नहीं आया तो गुरुवार तक कचरे को घर में ही रखना पड़ेगा।

बेंगलुरू नगर निगम का नियम है कि रविवार और बुधवार को केवल सूखा कचरा ही फेंका जाए और बाक़ी दिन गीला। इससे कचरे को सही तरह से निष्क्रिय करने में मदद मिलती है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो मल्लप्पा जैसे लोगों को हमारे बदले यह सब करना पड़ता है। मल्लप्पा हमारी कॉलोनी के कचरे ढोने वाले लड़के का नाम था। वैसे तो बेंगलुरू के इस इलाक़े, कुंजपुरा में वह हमेशा सुबह-सुबह ही पहुंच जाता था, लेकिन पिछले 2 दिनों से उसका अता-पता न था। मैंने घड़ी पर फिर नज़र दौड़ाई, 5 मिनट बीत चुके थे। मैंने हेलमेट सिर पर लगाया और कूड़ेदान से कचरा निकाल कर प्लास्टिक की थैली में भरने लगा। कचरे की थैली हाथ में लिए 5 मिनट और बीत गए, लेकिन मल्लप्पा का अता पता न था।

मैंने तय किया कि सोसाइटी के कोने पर कचरा रखकर ऑफ़िस निकल लूंगा। दबे पांव मैं अपने घर के बरामदे से बाहर निकला और सोसाइटी के गेट के पास कचरा रखने लगा। ''ख़बरदार, जो यहां कचरा रखा तो,'' पीछे से आवाज़ आई। मैं सकपका गया। देखा तो पीछे नीलम्मा

अज्जी खड़ी थीं। ''अभी उठाओ इसे, मैं कहती हूं, अभी उठाओ।''

''पर अज्जी, मैं क्या करूं, मल्लप्पा आज भी नहीं आया,'' मैं ने सफ़ाई देने की कोशिश की। ''जानती हूं, लेकिन सोसाइटी की सफ़ाई तो मुझे ही देखनी होती है न। तुम तो यहां कचरा छोड़कर ऑफ़िस चल दोगे, आवारा कुत्ते आकर सारा कचरा इधर-उधर बिखेर देंगे, फिर साफ़ तो मुझे ही करना होगा न,'' उनका स्वर तेज़ था। मैंने कचरा वापस कमरे में रखने में ही भलाई समझी।

''तुम तो गाड़ी से ऑफ़िस जाते हो, इस कूड़े को रास्ते में किसी कूड़ेदान में क्यों नहीं फेंक देते,'' उन्होंने सलाह दी। ''बात तो ठीक कहती हो अज्जी, घर में रखा तो यह ऐसे ही दुर्गंध देता रहेगा,'' यह कहकर कचरे का थैला गाड़ी की डिग्गी में डाल लिया, सोचा कि रास्ते में किसी कूड़े के ढेर में फेंक दूंगा। सफ़ाई के मामले में वैसे तो बेंगलुरू भारत का नंबर एक शहर है, लेकिन कूड़े का ढेर ढूंढ़ने में ज़्यादा दिक़्क़त यहां भी नहीं होती। मैं अभी कुछ ही दूर गया था कि सड़क के किनारे कूड़े का एक बड़ा-सा ढेर दिख गया। मैंने कचरे से छुटकारा पाने की सोचा, गाड़ी रोक दी। अभी डिग्गी खोली भी नहीं थी कि एक बच्ची मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। ''अंकल, क्या आप मेरी हेल्प कर दोगे, प्लीज।''

''हां बेटा, बोलो, आपको क्या हेल्प चाहिए,'' मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसने झट से अपने साथ के 2 बच्चों को बुलाया जो वहां सड़क के किनारे अपनी स्कूल बस का इंतिज़ार कर रहे थे। उनमें से एक से बोली, ''गौरव, वह बोर्ड ले आओ, अंकल हमारी हेल्प कर देंगे।''

गौरव भाग कर गया और अपने साथ एक छोटा-सा गत्ते का बोर्ड ले आया। उस के साथ 3-4 बच्चे और मेरी गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए। छोटी- सी एक बच्ची ने वह गत्ते का बोर्ड मुझे थमाते हुए कहा, ''अंकल, आप यह बोर्ड यहां ऊपर टांग दीजिए, प्लीज।''

मैंने तय किया कि सोसाइटी के कोने पर कचरा रखकर ऑफ़िस निकल लूंगा। दबे पांव मैं अपने घर के बरामदे से बाहर निकला और सोसाइटी के गेट के पास कचरा रखने लगा। "ख़बरदार, जो यहां कचरा रखा तो," पीछे से आवाज़ आई। मैं सकपका गया। देखा तो पीछे नीलम्मा अज्जी खड़ी थीं। "अभी उठाओ इसे, मैं कहती हूं, अभी उठाओ।"

''बस, इतनी-सी बात,'' कहकर मैंने वह बोर्ड वहां टांग दिया। बोर्ड पर लिखा था, 'कृपया यहां कचरा न फेंकें, यह हम बच्चों का स्कूल बस स्टॉप है।'

बोर्ड टंगा देख सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। मैंने एक नज़र अपनी बंद पड़ी डिग्गी पर दौड़ाई और वहां से निकल पड़ा। कोई बात नहीं, घर से ऑफ़िस का सफ़र 20 किलोमीटर का है, कहीं न कहीं तो कचरे वालों का एरिया होगा, यह सोच मैंने मन को धीरज बंधाया और गाड़ी चलाने लगा।

आउटर रिंग रोड पर गाड़ी चलते समय कहीं भी कचरे का ढेर नहीं दिखा तो हेन्नुर क्रॉसिंग से आगे बढ़ने पर मैंने लिंगराजपुरम रोड पकड़ ली। मैंने सोचा कि रेजिडेंशियल एरिया में तो ज़रूर कहीं न कहीं कचरे का ढेर मिलेगा या हो सकता है कि कहीं कचरे वालों की कोई गाड़ी ही मिल जाए। अभी थोड़ी दूर ही चला था कि रास्ते में गौशाला दिख गई। साफ़-सुथरे कपड़े पहने लोगों के बीच कुछ छोटी-मोटी दुकानें थीं और पास ही कचरे का ढेर भी लगा था, लेकिन यह क्या, वहां तो गौशाला के कुछ कर्मचारी सफ़ाई करने में लगे थे।

मैंने गाड़ी की रफ़्तार और तेज़ कर दी और सोचने लगा कि इस कचरे को आज डिग्गी में ही ढोना पड़ेगा। लिंगराज पुरम फ्लाईओवर पार करने के बाद मैं लेजर रोड पर गाड़ी चला रहा था। एमजी रोड जाने के लिए यहां से 2 रास्ते जाते थे। एक कमर्शियल स्ट्रीट से और दूसरा उल्सूर लेक से होते हुए। उल्सूर लेक के पास गंदगी ज़्यादा होगी, यह सोचकर मैंने गाड़ी उसी तरफ़ मोड़ दी।



अनुमान के मुताबिक़ मैं बिल्कुल सही था। रोड के किनारे लगी बाड़ के उस पार कचरे का काफ़ी बड़ा ढेर था। थोड़ा और आगे बढ़ा तो 2-3 महिलाएं कचरे के एक छोटे से ढेर से सूखा व गीला कचरा अलग कर रही थीं। उन्हें नंगे हाथों से ऐसे करते देख मुझे बड़ी घिन आई। थोड़ी ग्लानि भी हुई। हम अपने घरों में छोटी-छोटी ग़लतियां करते हैं सूखे और गीले कचरे को अलग न करके। यहां इन बेचारों को यह कचरा अपने हाथों से बीनना पड़ता है।

मुझे डिग्गी में रखे कचरे का ख़याल आया, जो ऐसे ही सूखे और गीले कचरे का मिश्रण था। मन ग्लानि से भर उठा। धीमी चल रही गाड़ी फिर तेज़ हो गई और मैं एमजी रोड की तरफ़ बढ़ गया।

एमजी रोड बेंगलुरू के सबसे साफ़-सुथरा इलाक़ों में से एक है।

चौड़ी-चौड़ी सड़कें और कचरे का कहीं नामोनिशान नहीं। सफ़ाई में लगे कर्मचारी वहां भी धूल उड़ाते दिख रहे थे। लेकिन मुझे जेपी नगर जाना था। इसीलिए मैंने बिग्रेड रोड वाली लेन पकड़ ली। सोचा शायद यहां कहीं कूड़ेदान मिल जाए, लेकिन लगता है, इस सूखे-गीले कचरे के मिश्रण की लोगों की आदत सुधारने के लिए नगर निगम ने कूड़ेदान ही हटा दिए थे।

शांति नगर, डेयरी सर्किल, जयदेवा हॉस्पिटल होते हुए अब मैं अपने ऑफ़िस के नज़दीक वाले सिग्नल पर खड़ा था। सामने ऑफ़िस की बड़ी बिल्डिंग साफ़ नज़र आ रही थी। वहां कचरा ले जाने की बात सोचकर मन में उथल-पुथल मच गई। आसपास नज़र दौड़ाई तो सामने कचरे की एक छोटी-सी हाथ गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी चलाने वाली महिला कर्मचारी पास में ही कचरा बिन रही थी। यह सूखे कचरे की गाड़ी थी।

मैंने मन ही मन सोचा, 'यही मौक़ा है, जब तक वह वहां कचरा बीनती है, मैं अपने कचरे की थैली को उसकी गाड़ी में डाल के निकल लेता हूं,' था तो यह ग़लत, क्योंकि उस बेचारी ने सूखा कचरा जमा किया था और मैं उसमें मिश्रित कचरा डाल रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। मैंने साहस करके गाड़ी की डिग्गी खोली, लेकिन इससे पहले कि मैं कचरा निकाल पाता, सिग्नल ग्रीन हो गया।

पीछे से गाड़ियों का हॉर्न सुनकर मैंने अपनी गाड़ी वहां से निकालने में ही भलाई समझी। अब मैं ऑफ़िस के अंदर पार्किंग में था। कचरा रखने से कपड़े की बनी डिग्गी भरी-भरी दिख रही थी।

मैंने गाड़ी लॉक की और लिफ्ट की तरफ़ जाने लगा, तभी सिक्योरिटी गार्ड

"बस, इतनी-सी बात," कहकर मैंने वह बोर्ड वहां टांग दिया। बोर्ड पर लिखा था, 'कृपया यहां कचरा न फेंकें, यह हम बच्चों का स्कूल बस स्टॉप है।' बोर्ड टंगा देख सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। मैंने एक नज़र अपनी बंद पड़ी डिग्गी पर दौड़ाई और वहां से निकल पड़ा। कोई बात नहीं, घर से ऑफ़िस का सफ़र 20 किलोमीटर का है, कहीं न कहीं तो कचरे वालों का एरिया होगा, यह सोच मैंने मन को धीरज बंधाया और गाड़ी चलाने लगा।

ने मुझे टोक दिया, ''सर, कहीं आप डिग्गी में कुछ भूल तो नहीं रहे,'' उसने उभरी हुई डिग्गी की तरफ़ इशारा किया। ''नहीं-नहीं, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट सामान नहीं है,'' मैंने झेंपते हुए कहा और लिफ्ट की तरफ़ लपक लिया।

ऑफ़िस में दिनभर काम करते हुए एक ही बात मन में घूम रही थी कि कहीं, कोई जान न ले कि मैं घर का कचरा भी ऑफ़िस लेकर आता हूं। न जाने इससे कितनी फ़जीहत हो। बहरहाल, शाम हुई। मैं ऑफ़िस से जान-बूझकर थोड़ी देर से निकला ताकि अंधेरे में कचरा फेंकने में कोई दिक़्क़त न हो। गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ़ निकल लिया, फिर से वही रास्ता। फिर से वही कचरे के ढेर। इस बार कोई बंदिश न थी और न ही कोई रोकने वाला, लेकिन फिर भी मैं कचरा नहीं फेंक पाया। कचरे के ढेर आते रहे और मैं दृढ़ मन से गाड़ी आगे बढ़ाता रहा। न जाने क्या हो गया था मुझे।

अब कुछ ही देर में घर आने वाला था। सुबह निकलते वक़्त पत्नी की बात याद आई, 'अंदर से आवाज़ आई, छोड़ो यह सब सोचना। एक तुम्हारे से थोड़े न, यह शहर इतना साफ़ हो जाएगा।' मैंने सोसाइटी के पीछे वाली सड़क पकड़ ली। लगभग एक किलोमीटर दूर जाने के बाद एक कचरे का ढेर और दिखा। मैंने गाड़ी रोकी, डिग्गी खोली और कचरा ढेर के हवाले कर दिया।

सुबह से जो तनाव था वह अचानक से फुर्र हो गया। मन को थोड़ी राहत मिली। रास्ते भर से जो जंग मन में चल रही थी, वह अब जीती-सी लग रही थी।

तभी सामने एक आटोरिक्शा आकर रुका, देखा तो मल्लप्पा अपनी बच्ची को गोद में लिए उतर रहा था। ''नमस्ते सर, आप यहां।''

''नहीं, मैं बस यूं ही, और तुम यहां? कहां हो इतने दिनों से, आए नहीं?''

''मेरा तो घर यहीं पीछे है। क्या बताऊं सर, मेरी बच्ची की तबियत बहुत ख़राब है। बस, इसी की तिमारदारी में लगा हूं 2 दिनों से।''

''क्या हुआ इसे?'' ''संक्रमण है, डॉक्टर कहता है कि गंदगी की वजह से हुआ है।''

आउटर रिंग रोड पर गाड़ी चलते समय कहीं भी कचरे का ढेर नहीं दिखा तो हेन्नुर क्रॉसिंग से आगे बढ़ने पर मैंने लिंगराजपुरम रोड पकड़ ली। मैंने सोचा कि रेजिडेंशियल एरिया में तो ज़रूर कहीं न कहीं कचरे का ढेर मिलेगा या हो सकता है कि कहीं कचरे वालों की कोई गाड़ी ही मिल जाए। अभी थोड़ी दूर ही चला था कि रास्ते में गौशाला दिख गई। साफ़-सुथरे कपड़े पहने लोगों के बीच कुछ छोटी-मोटी दुकानें थीं और पास ही कचरे का ढेर भी लगा था, लेकिन यह क्या, वहां तो गौशाला के कुछ कर्मचारी सफ़ाई करने में लगे थे।



''ठीक तो कहा डॉक्टर ने, थोड़ी साफ़-सफ़ाई रखो,'' मैंने सलाह दी। ''अब साफ़ जगह कहां से लाएं। हम तो कचरे वाले हैं न, सर,'' यह कहकर मुस्कुराता हुआ वह अपने घर की ओर चल दिया। सामने उसका घर था, बगल में कचरे का ढेर। वहां खड़ा मैं, अब, हारा हुआ-सा महसूस कर रहा था। ■■



आख़िरी पन्ना



प्रस्तुति-
अब्दुर्रब करीमी

दुश्मन की गवाही

रोम का बादशाह हिरक्ल ईसाई था और बाइबल का ज्ञाता था। बाइबल की भविष्यवाणियों और गवाहियों के मुताबिक़ एक नए पैग़म्बर के आने का इन्तिज़ार था। जब उसे मालूम हुआ कि अरब के मक्का शहर में हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने पैग़म्बर होने का दावा किया है तो उसे यह जानने की इच्छा हुई कि बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार पैग़म्बर के लक्षण और विशेषताएं होती है, वे हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) में मौजूद है या नहीं? इसी दौरान मक्का के कुछ कारोबारी लोगों से हिरक्ल की मुलाक़ात हुई। उन लोगों में क़ुरैश के सरदार अबू सुफ़ियान भी थे। अबू सुफ़ियान उस वक़्त इस्लाम और हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के कट्टर दुश्मन थे। रोम के बादशाह हिरक्ल ने उनसे जो बात की उसे ख़ुद अबू सुफ़ियान ने इस तरह बयान किया है-

रोम के बादशाह हिरक्ल ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और मुझ से मुहम्मद (सल्ल.) के बारे में पूछा। हिरक्ल का पहला सवाल यह था कि उस व्यक्ति (मुहम्मद) का ख़ानदान कैसा है? मैंने कहा कि वह बहुत ही शरीफ़ ख़ानदान से सम्बन्ध रखता है।

हिरक्ल : क्या तुम में से किसी ने इससे पहले पैग़म्बरी का दावा किया था?

अबू सुफ़ियान : नहीं।

हिरक्ल : क्या उसके बाप-दादाओं में कोई बादशाह गुज़रा है?

अबू सुफ़ियान : नहीं।

हिरक्ल : उसकी पैरवी (अनुसरण) करने वाले बा-असर लोग हैं या कमज़ोर?

अबू सुफ़ियान : कमज़ोर।

हिरक्ल : उसकी पैरवी करने वालों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही या कमी?

अबू सुफ़ियान : बढ़ोत्तरी हो रही है।

हिरक्ल : उसकी पैरवी करने वालों में कोई ऐसा भी है जो उसके धर्म से नाख़ुश होकर फिर गया हो?

अबू सुफ़ियान : नहीं।

हिरक्ल : पैग़म्बरी के दावे से पहले कभी तुमने उस पर झूठे होने का आरोप लगाया था?

अबू सुफ़ियान : नहीं।

हिरक्ल : क्या वह वचन भंग करता है?

अबू सुफ़ियान : नहीं। अलबत्ता अभी जो उसके साथ सुलह का समझौता हुआ है, उस पर देखेंगे कि वह उसकी पाबन्दी करता है या नहीं। (इस एक बात के सिवा अल्लाह के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के बारे में मैं कोई बात भी अपनी तरफ़ से दाख़िल न कर सका।)

हिरक्ल : क्या तुम्हारी कभी उससे जंग हुई है?

अबू सुफ़ियान : जी हां।

हिरक्ल : जंग का नतीजा क्या हुआ?

अबू सुफ़ियान : जंग में कभी उसका पलड़ा भारी रहा, कभी हमारा।

हिरक्ल : वह किस बात की शिक्षा देता है?

अबू सुफ़ियान : वह कहता है कि एक ख़ुदा की उपासना (इबादत) करो और उसके साथ किसी को शरीक (साझी) न ठहराओ। बाप-दादाओं की बातें (अज्ञानता) छोड़ दो।

वह हमें नमाज़ पढ़ने, सच बोलने, पाकदामनी (नेक चलनी) अपनाने और रिश्ते-नातों के अधिकार अदा करने की शिक्षा देता है।

इस बातचीत के बाद हिरक्ल ने दुभाषिये (तर्जुमान) से कहा कि अबू सुफ़ियान से कहो कि मैंने तुम से मुहम्मद के ख़ानदान के बारे में पूछा तो तुमने कहा कि वह बहुत ही शरीफ़ ख़ानदान का है; तो पैग़म्बर हमेशा शरीफ़ ख़ानदानों में से बनाए जाते हैं।

मैंने पूछा कि क्या इससे पहले तुम में से किसी ने पैग़म्बर होने का दावा किया था तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। अगर इससे पहले तुम में से किसी ने यह दावा किया होता तो मैं समझता कि यह उसी दावे का असर है।



मैंने पूछा कि उसके बाप-दादाओं में से कोई बादशाह हुआ है? तो तुमने कहा कि नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं समझता कि वह बाप-दादा की (खोई हुई) सल्तनत हासिल करना चाहता है।

मैंने तुम से पूछा कि पैग़म्बरी के दावे से पहले कभी तुमने उस पर झूठे होने का आरोप लगाया था तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। मैं नहीं समझता कि जो आदमी लोगों से झूठ न बोलता हो, वह ख़ुदा पर झूठ बांध सकता है।

मैंने तुम से सवाल किया कि प्रभावशाली लोग उसकी पैरवी करने वाले हैं या कमज़ोर तो तुमने जवाब दिया कि कमज़ोर लोग; तो पैग़म्बरों की पैरवी करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं।

मैंने पूछा कि उसके मानने वालों में बढ़ोत्तरी हो रही है या कमी तो तुमने बताया कि बढ़ोत्तरी हो रही है। यही हाल ईमान का है कि वह बढ़ता ही रहता है, यहां तक कि वह मुकम्मल (पूर्ण) हो जाता है।

मैंने पूछा कि कोई व्यक्ति उसके धर्म को क़बूल करने के बाद उससे नाख़ुश होकर फिर जाता है कि नहीं? तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। और यही हालत ईमान की है कि जब वह दिलों में उतर जाता है तो फिर निकलता नहीं।

मैंने पूछा कि क्या उसने वचन भंग किया है तो तुमने कहा कि नहीं। तो पैग़म्बरों का चरित्र ऐसा ही होता है। वे कभी वचन और समझौता भंग नहीं करते।

मैंने तुम से पूछा कि वह किस बात की शिक्षा देता है, तुमने बताया कि वह एक ख़ुदा (ईश्वर) की उपासना और इबादत करने और उसके साथ किसी को साझी न ठहराने की शिक्षा देता है। नमाज़ पढ़ने, सच बोलने और पाकदामनी (नेक चलनी) अपनाने का हुक्म देता है।

अगर तुम्हारी ये बातें सच हैं, तो एक दिन उसकी पहुंच यहां रोम तक होगी। मुझे मालूम था कि एक पैग़म्बर आने वाला है, लेकिन यह नहीं समझता था कि वह तुम में से होगा। अगर मेरे लिए उसकी सेवा में हाज़िर होना मुमकिन होता, तो मैं मुश्किलों के बावजूद उससे मिलता और अगर मैं उसकी सेवा में हाज़िर होता, तो उसके क़दम धोने का श्रेय प्राप्त करता। ■■

Citymaker

BUILDERS PVT.LTD

55, Maruti Lane, Near Handloom House,
Fort, Mumbai-400 001, Ph. : 22661438, 22675328

KANTI Monthly, New Delhi
SEPTEMBER 2022
Posted on 20-21 August 2022
Published on 18 August 2022
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

